इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 42] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 18 अक्टूबर 2024—आश्विन 26, शक 1946

## विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

# भाग १

## राज्य शासन के आदेश

### सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर 2024

क्र. ई-5-870-आयएएस-लीव-5-एक .—(1) श्री अविनाश लवानिया, भाप्रसे (2009), अपर सचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल का दिनांक 7 से 11 अक्टूबर 2024 तक, पाँच दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश (दिनांक 5, 6 एवं 12, 13 अक्टूबर 2024 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित) स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अविनाश लवानिया, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर सचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अविनाश लवानिया, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अविनाश लवानिया, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर 2024

क्र. ई-1-206-2024-5-एक .—श्रीमती स्मिता भारद्वाज, भाप्रसे (1992), अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पदस्थ करते हुए अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.



नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2024.

क्र. ई-5-1043-आयएएस-लीव-5-एक .—(1) श्री स्वप्निल जी वानखेड़े, भाप्रसे, (2016), अपर कलेक्टर, जिला सतना को दिनांक 14 से 18 अक्टूबर 2024 तक, पाँच दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश (दिनांक 13 एवं 19, 20 अक्टूबर 2024 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित) स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री स्वप्निल जी वानखेड़े, भाप्रसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर कलेक्टर, जिला सतना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री स्वप्निल जी वानखेड़े, भाप्रसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री स्वप्निल जी वानखेड़े, भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर 2024

क्र. ई-1-238-2023-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाए गए भाप्रसे अधिकारी को मुख्य सचिव वेतनमान रुपये 12,25,000/- निश्चित वेतन (पे-मैट्रिक्स-17) में पदोन्नत करते हुए, उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

| क्र. | अधिकारी का नाम, बैच तथा वर्तमान पदस्थापना | मुख्य सचिव वेतनमान में पदोन्नति पर पदस्थापना | खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया है. |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | श्री नीरज मण्डलोई, भाप्रसे (1993), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग. | अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग. | अध्यक्ष राजस्व मण्डल |

(2) उक्त पदोन्नति आदेश दिनांक 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावशील होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**वीरा राणा**, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 22 मार्च 2024

क्र. एफ 05-10-2022-साप्रावि कक्ष (1).—माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री राज मोहन सिंह, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, जबलपुर का ओ. एस. डी.-कम-पीपीएस, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक ए-1713-(दो-1-18-2023) दिनांक 27 फरवरी 2024 के अनुक्रम में दिनांक 12 से 17 फरवरी 2024 तक कुल छः दिवस का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**अजय कटेसरिया**, उपसचिव.

## गृह विभाग

### मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 अक्टूबर 2024

क्र. एफ-2-0014-2023-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री मयूर खण्डेलवाल, भापुसे, सहायक पुलिस आयुक्त, हबीबगंज, भोपाल को खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 11 से 13 सितम्बर 2024 तक, तीन दिवस आकस्मिक अवकाश एवं 14-15 सितम्बर 2024 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में अकेले उनके गृह नगर अलवर (राजस्थान) जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) श्री मयूर खण्डेलवाल, भापुसे, के अवकाश अवधि में सहायक पुलिस आयुक्त, हबीबगंज, भोपाल का चालू कार्य श्री चंद्रशेखर पाण्डेय, सहायक पुलिस आयुक्त, टी. टी. नगर, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री मयूर खण्डेलवाल, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक पुलिस आयुक्त, हबीबगंज, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री मयूर खण्डेलवाल, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री मयूर खंडेलवाल, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मयूर खंडेलवाल, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1 (ए) 134-2017-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री विजय कुमार खत्री, भापुसे, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (रेडियो), पुलिस मुख्यालय, भोपाल को खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 26 नवम्बर से 6 दिसम्बर 2024 तक, ग्यारह दिवस अर्जित अवकाश अवधि में गृह नगर के स्थान पर भारत भ्रमण यात्रा अंतर्गत अंडमान निकोबार जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

1. श्री विजय कुमार खत्री — स्वयं
2. श्रीमती विजया खत्री — पत्नी

(2) श्री विजय कुमार खत्री, भापुसे के अवकाश अवधि में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (रेडियो), पुलिस मुख्यालय, भोपाल का चालू कार्य श्री अंकित शुक्ला, रापुसे, पुलिस अधीक्षक, रेडियो, सीसीटीव्ही, रेडियो मुख्यालय भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री विजय कुमार खत्री, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (रेडियो), पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री विजय कुमार खत्री, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री विजय कुमार खत्री, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विजय कुमार खत्री, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

क्र. एफ 1 (ए) 18-2004-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री अभय सिंह, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, भोपाल देहात जोन, को दिनांक 20 से 26 सितम्बर 2024 तक, सात दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) श्री अभय सिंह, भापुसे, की अवकाश अवधि में पुलिस महानिरीक्षक, भोपाल देहात जोन का चालू कार्य श्री ओमप्रकाश त्रिपाठी, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, भोपाल (ग्रामीण) द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अभय सिंह, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, भोपाल देहात जोन, के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री अभय सिंह, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री अभय सिंह, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अभय सिंह, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1 (ए) 87-2008-ब-2-दो.—राज्य शासन, सुश्री चैत्रा, एन., भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (शिकायत), पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 23 से 27 सितम्बर 2024 तक, पाँच दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 21-22 व 28-29 सितम्बर 2024 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ सहित स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री चैत्रा, एन., भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक (शिकायत), पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में सुश्री चैत्रा, एन., भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री चैत्रा, एन., भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनी रहतीं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**अन्नू भलावी**, अवर सचिव.

# विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 13 सितम्बर 2024

क्र. 3720-2024-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन वर्ष 2025 में अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के फलस्वरूप निम्नलिखित मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के अधिकारियों को कंडिका (5) में अंकित दिनांक से सेवानिवृत्त किए जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करता है :—

| क्र. | अधिकारी का नाम | जन्मतिथि | अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने की अवधि | सेवानिवृत्ति दिनांक |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | श्री संजय कृष्ण जोशी | 03-01-1965 | 02-01-2025 | 31-01-2025 |
| 2 | श्री राजीव कुमार कर्महे | 11-01-1965 | 10-01-2025 | 31-01-2025 |
| 3 | श्री रामानन्द चन्द | 15-01-1965 | 14-01-2025 | 31-01-2025 |
| 4 | श्री सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव (जूनि.) | 15-01-1965 | 14-01-2025 | 31-01-2025 |
| 5 | श्री हितेन्द्र कुमार मिश्रा | 11-02-1965 | 10-02-2025 | 28-02-2025 |
| 6 | श्री पदम चंद गुप्ता | 17-03-1965 | 16-03-2025 | 31-03-2025 |
| 7 | श्री प्रमोद कुमार | 19-03-1965 | 18-03-2025 | 31-03-2025 |
| 8 | श्री मोहम्मद मूसा खान | 01-04-1965 | 31-03-2025 | 31-03-2025 |
| 9 | श्री प्रदीप राठौर | 14-05-1965 | 13-05-2025 | 31-05-2025 |
| 10 | श्री सैफी दाऊदी | 14-06-1965 | 13-06-2025 | 30-06-2025 |
| 11 | श्री रामगोपाल प्रजापति | 14-06-1965 | 13-06-2025 | 30-06-2025 |
| 12 | श्री मोहम्मद अनीस खान | 01-07-1965 | 30-06-2025 | 30-06-2025 |
| 13 | श्री राजेन्द्र सिंह ठाकुर (जूनि.) | 06-07-1965 | 05-07-2025 | 31-07-2025 |
| 14 | श्रीमती किरण सिंह | 13-07-1965 | 12-07-2025 | 31-07-2025 |
| 15 | श्री धर्मपाल सिंह सिवाच | 16-07-1965 | 15-07-2025 | 31-07-2025 |
| 16 | श्री मो. सय्यदुल अबरार अन्सारी | 25-07-1965 | 24-07-2025 | 31-07-2025 |
| 17 | श्री पवन कुमार शर्मा | 01-08-1965 | 31-07-2025 | 31-07-2025 |
| 18 | श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह | 07-08-1965 | 06-08-2025 | 31-08-2025 |
| 19 | श्री रवीन्द्र सिंह कुशवाहा | 12-08-1965 | 11-08-2025 | 31-08-2025 |
| 20 | श्री राजेश कुमार गुप्ता | 15-08-1965 | 14-08-2025 | 31-08-2025 |
| 21 | श्री अजय कुमार सिंह | 15-08-1965 | 14-08-2025 | 31-08-2025 |
| 22 | श्री राजेश नंदेश्वर | 20-09-1965 | 19-09-2025 | 30-09-2025 |
| 23 | श्री संजय कुमार पाण्डेय | 01-10-1965 | 30-09-2025 | 30-09-2025 |
| 24 | श्री गिरीश दीक्षित | 06-10-1965 | 05-10-2025 | 31-10-2025 |
| 25 | श्री जयशंकर श्रीवास्तव | 10-10-1965 | 09-10-2025 | 31-10-2025 |
| 26 | श्रीमती सविता सिंह | 18-10-1965 | 17-10-2025 | 31-10-2025 |
| 27 | श्री विवेक कुमार गुप्ता | 31-10-1965 | 30-10-2025 | 31-10-2025 |
| 28 | श्री अतुल कुमार खण्डेलवाल | 03-11-1965 | 02-11-2025 | 30-11-2025 |
| 29 | श्री राजा राम भारतीय | 10-11-1965 | 09-11-2025 | 30-11-2025 |
| 30 | श्री प्रकाश चन्द्र आर्य | 12-12-1965 | 11-12-2025 | 31-12-2025 |
| 31 | श्री अजय प्रकाश मिश्र | 15-12-1965 | 14-12-2025 | 31-12-2025 |
| 32 | श्री राजकुमार यादव | 15-12-1965 | 14-12-2025 | 31-12-2025 |
| 33 | श्री राजदीप सिंह ठाकुर | 26-12-1965 | 25-12-2025 | 31-12-2025 |
| 34 | श्री पूरन चन्द्र गुप्ता | 01-01-1966 | 31-12-2025 | 31-12-2025 |
| 35 | श्री राजेन्द्र प्रसाद सोनी | 01-01-1966 | 31-12-2025 | 31-12-2025 |
| 36 | श्री दगडू सिंह चौहान | 01-01-1966 | 31-12-2025 | 31-12-2025 |

भोपाल, दिनांक 1 अक्टूबर 2024

क्र. 3894-इक्कीस-ब (एक)-2024.—विधिक सेवा प्राधिकरण संशोधन अधिनियम, 1994 (1994 का संख्याक 59) द्वारा यथा संशोधित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का संख्याक 39) की धारा 6 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से माननीय न्यायमूर्ति श्री संजीव सचदेवा, न्यायाधीश, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय को मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में तत्काल प्रभाव से नामांकित करता है.

No. 3894-XXI-B(I),-2024.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of Section 6 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (No. 39 of 1987) as amended by Legal Services Authorities (Amendment) Act, 1994 (No. 59 of 1994), the Governor of Madhya Pradesh in consultation with the Chief Justice of High Court of Madhya Pradesh nominates Hon'ble Justice Shri Sanjeev Sachdeva, Judge, Madhya Pradesh High Court as Executive Chairman of Madhya Pradesh State Legal Services Authority with immediate effect.

पंजी क्र. 3902-2024-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायालय, जबलपुर की अनुशंसा अनुसार प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी, श्री उमेश कुमार श्रीवास्तव, माननीय राज्यपाल महोदय के विधि अधिकारी, राजभवन, भोपाल का स्थानांतरण नियमित न्यायालय में प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, भोपाल के पद पर किये जाने के फलस्वरुप उनकी सेवाएं प्रतिनियुक्ति से वापस लेकर, एतद्द्वारा, उच्च न्यायालय, जबलपुर को सौंपता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**नरेन्द्र प्रताप सिंह,** प्रमुख सचिव.

# विभाग प्रमुखों के आदेश

## कार्यालय, कुलाधिपति, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म. प्र.)

**राजभवन,** भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर 2024

क्र. एफ-1-3-24-रा. स.-यू. ए.-1-1157.—मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, मंगुभाई पटेल, कुलाधिपति, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर, एतद्द्वारा, प्रो. राकेश सिंघई, प्रोफेसर एवं निदेशक, युनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, शिवपुरी (म. प्र.) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चार वर्ष की कालावधि अथवा 70 वर्ष की आयु जो भी पूर्वतर हो के लिए देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर का कुलपति नियुक्त करता हूं.

2. इनकी सेवा शर्तें एवं निबंधन विश्वविद्यालय के परिनियम-1 के अनुसार शासित होंगी.

**मंगुभाई पटेल,** कुलाधिपति.

## कार्यालय, कुलाधिपति, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म. प्र.)

**राजभवन,** भोपाल, दिनांक 3 अक्टूबर 2024

क्र. एफ-1-1-24-रा. स.-यू. ए.-1-1169.—मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, मंगुभाई पटेल, कुलाधिपति, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन, एतद्द्वारा, प्रो. अर्पण भारद्वाज, प्रोफेसर एवं प्रभारी प्राचार्य, शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय, उज्जैन (म. प्र.) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चार वर्ष की कालावधि अथवा 70 वर्ष की आयु जो भी पूर्वतर हो के लिए विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन का कुलगुरु नियुक्त करता हूं.

2. इनकी सेवा शर्तें एवं निबंधन विश्वविद्यालय के परिनियम-1 के अनुसार शासित होंगी.

**मंगुभाई पटेल,** कुलाधिपति.

## संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश, भोपाल
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

### सेंधवा विकास योजना, 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 4437-वि. यो.-सेंधवा-उपांतरण-नग्रानि-2024.—एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि सेंधवा विकास योजना 2021 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 की उपधारा (2) सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :—

1. आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर, मध्यप्रदेश.
2. कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश.
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर परिषद्, सेंधवा, मध्यप्रदेश.
4. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय खरगोन, मध्यप्रदेश.

**अनुसूची**

| क्रमांक | विकास योजना (नगर का नाम) | विकास योजना में भूमि उपयोग | अध्याय | विकास योजना की सारणी / कंडिका क्रमांक | सारणी / कंडिका / कॉलम का सरल क्रमांक | उपांतरण प्रस्ताव, उपांतरित कॉलम (5) एवं (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | सेंधवा विकास योजना 2021 | औद्योगिक (अ) सेवा उद्योग (ब) अन्य उद्योग | 6 | 6-सा-15 | 3 (अ एवं ब) | छात्रावास |

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे, यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, खरगोन को इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

भोपाल, दिनांक 14 अक्टूबर 2024

प्ररूप-1
[नियम 2 के उपनियम (एक) का खण्ड (झ) देखिए]

### उत्पादन क्षेत्र संबंधी अधिसूचना

क्र. 4587-14-10-24.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 23-ग की शक्तियों का उपयोग करते हुये संचालक, एतद्द्वारा, भोपाल निवेश क्षेत्र में उत्पादन क्षेत्र को निम्न अनुसूची में निर्दिष्ट किये गये अनुसार अधिसूचित करता है :—

अनुसूची
(उत्पादन क्षेत्र)

| क्रमांक | ग्राम | खसरा क्रमांक | क्षेत्रफल (हेक्टर में) |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | भोपाल विकास योजना, 2005 का निवेश क्षेत्र. | विकास योजना में उपदर्शित समस्त 24.00 मीटर तथा उससे अधिक चौड़े मार्गों के अंतर्गत आने वाली भूमियों के समस्त खसरे अथवा उसका भाग. | मार्ग से प्रभावित सम्पूर्ण रकबा. |

मध्यप्रदेश हस्तांतरणीय विकास अधिकार नियम, 2018 के प्रावधानों के अनुसार प्राधिकारी, उपरोक्त अनुसूचित क्षेत्र में इस क्षेत्र हेतु विकास अधिकार प्रमाण-पत्र जारी करेगा.

प्ररूप-2

[नियम 5 का उपनियम (एक) देखिए]

प्राप्ति क्षेत्र संबंधी सूचना

क्र. 4599-14-10-24.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 2 के खण्ड (णणक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, संचालक, एतद्द्वारा, भोपाल निवेश क्षेत्र में प्राप्ति क्षेत्र को निम्न अनुसूची में निर्दिष्ट किये गये अनुसार अधिसूचित करते हैं, अर्थात् :—

अनुसूची

(प्राप्ति क्षेत्र)

| क्रमांक | ग्राम | खसरा क्रमांक | क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | भोपाल विकास योजना, 2005 का निवेश क्षेत्र. | विकास योजना, 2005 में उपदर्शित 24.00 मीटर तथा उससे अधिक चौड़े मार्गों की सीमा से मार्ग चौड़ाई की दोगुनी गहराई तक के क्षेत्र मे आने वाली भूमियों के समस्त खसरे अथवा उसका भाग. | मार्ग की चौड़ाई की दोगुनी गहराई तक के क्षेत्र से प्रभावित संपूर्ण रकबा. |

मध्यप्रदेश हस्तांतरणीय विकास अधिकार नियम, 2018 के उपबंधों के अनुसार प्राधिकारी, उपरोक्त अनुसूचित क्षेत्र में इस क्षेत्र हेतु विकास अधिकार प्रमाण-पत्र के उपयोग की अनुमति दे सकेगा.

भोपाल, दिनांक 14 अक्टूबर 2024

उज्जैन विकास योजना, 2035 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 4602-वि. यो.-उज्जैन-उपांतरण-नग्रानि-2024.—एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उज्जैन विकास योजना, 2035 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 की उपधारा (2) सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :—

1. आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन, मध्यप्रदेश.
2. कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश.
3. आयुक्त, नगरपालिक निगम, उज्जैन, मध्यप्रदेश.
4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, उज्जैन, मध्यप्रदेश.

प्रस्तावित उपांतरणों का विवरण

उज्जैन विकास योजना, 2035 के अध्याय-6 की कंडिका 6.14.1 संरक्षित परिक्षेत्र (सिंहस्थ मेला क्षेत्र) के बिन्दु क्रमांक-2 (iv) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है :—

6.14.1 संरक्षित परिक्षेत्र (सिंहस्थ मेला क्षेत्र)

2. (iv) अधिकतम ऊंचाई मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 42 के अनुसार नियंत्रित होगी.

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे, यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, उज्जैन को इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

**श्रीकांत बनोठ,** वि.क.अ.-सह-आयुक्त-सह-संचालक.

# राज्य शासन के आदेश

## राजस्व विभाग

### कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 8 अगस्त 2024

क्र. 691-भू-अर्जन-2024.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि, भूमि भूमिस्वामियों द्वारा उक्त भूमियों के बदले वर्तमान भू-अधिग्रहण अधिनियम, 2014 के नियमों एवं शर्तों के अधीन मुआवजा प्राप्त करने हेतु सहमत है. अतः इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है, और इस कारण अधिनियम की धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हे. में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रीवा | हुजूर नगर | रौसर | 1.605 | कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रीवा (म. प्र.) | रीवा जिले के रौसर चौराहा से कुठुलिया मार्ग में बीहर नदी पर जलमग्नीय पुल एवं पहुँचमार्ग का निर्माण कार्य. |

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रीवा, दिनांक 24 सितम्बर 2024

क्र. 778-भू-अर्जन-2024.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि, भूमि भूमिस्वामियों द्वारा उक्त भूमियों के बदले वर्तमान भू-अधिग्रहण अधिनियम, 2014 के नियमों एवं शर्तों के अधीन मुआवजा प्राप्त करने हेतु सहमत है. अतः इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है, और इस कारण अधिनियम की धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हे. में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रीवा | त्योंथर | डीह | 0.260 | कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रीवा (म. प्र.) | रीवा जिले के सोहागी बड़ागांव कोरांव मार्ग में बेलन नदी (डीह) पर जलमग्नीय पुल एवं पहुँचमार्ग निर्माण कार्य. |

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रीवा, दिनांक 1 अक्टूबर 2024

क्र. 792-भू-अर्जन-2024.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि, भूमि भूमिस्वामियों द्वारा उक्त भूमियों के बदले वर्तमान भू-अधिग्रहण अधिनियम, 2014 के नियमों एवं शर्तों के अधीन मुआवजा प्राप्त करने हेतु सहमत है. अतः इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है, और इस कारण अधिनियम की धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हे. में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रीवा | सेमरिया | कोटा | 0.680 | कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग रीवा (म. प्र.) | रीवा जिले के सिगमा टोला हटा (हटहा) सिगमा सेमरिया मार्ग में कुरवई नदी पर जलमग्नीय पुल एवं पहुँचमार्ग निर्माण कार्य. |

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**प्रतिभा पाल**, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

---

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उज्जैन, दिनांक 15 अक्टूबर 2024

क्र. 2756-भू-अर्जन-2024-रा.प्र. क्र. 0001-अ-82-2024-25.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन :—

(क) जिला—उज्जैन
(ख) तहसील—उज्जैन
(ग) कस्बा—उज्जैन
(घ) अर्जित रकबा—0.0311 हेक्टेयर.

| क्र. | सर्वे नम्बर | कुल रकबा (हेक्टर में) | अधिग्रहित रकबा (हेक्टर में) | परिसम्पत्ति |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | 2405/2 | 0.050 | 0.0311 | उक्त भूमियों पर 07 निर्मित मकान का भी अधिग्रहण किया जा रहा है. |
| 2 | 2405/3 | 0.050 | | |
| 3 | 2405/4 | 0.045 | | |
| 4 | 2405/5 | 0.052 | | |
| | | कुल अधिग्रहित रकबा | 0.0311 | |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.—रेल्वे स्टेशन उज्जैन से श्री महाकालेश्वर मंदिर तक रोपवे निर्माण के लिए अशासकीय भूमि का अधिग्रहण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, उज्जैन तथा संभागीय प्रबंधक सड़क विकास निगम, जिला उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**नीरज कुमार सिंह**, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

---

# कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश

उज्जैन, दिनांक 3 सितम्बर 2024

## प्रारंभिक अधिसूचना

[अंतर्गत धारा 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013)]

क्र. भू–अर्जन–2024–7371–रा.प्र.क्र. 0001–अ–82–2024–25.– चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड के विस्तारीकरण के लिए अधिग्रहित हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांकवार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है. निम्न वर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि–अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह कार्य औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि., उज्जैन के विस्तारीकरण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है, जिसका संबंध औद्योगिक विकास एवं आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से है. अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू–अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत् विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त योजना औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है जिससे क्षेत्र के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक–आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त परियोजना जो कि लोकहित में है. साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत् प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है :–

### अनुसूची (1)

| विवरण | अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर में |
|---|---|
| (1) | (2) |
| विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड के विस्तारीकरण हेतु औद्योगिक विकास एवं समग्र उन्नयन हेतु. | 11.81 हे. |

### अनुसूची (2)

1–भूमि का विवरण :–

| | | |
|---|---|---|
| (क) जिला | – | उज्जैन |
| (ख) तहसील | – | उज्जैन (ग्रामीण) |
| (ग) ग्राम | – | माधौपुर |
| (घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल | – | 11.81 |

| क्र. | सर्वे नंबर | अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हे. में) | धारा–12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | 80 | 0.150 | कार्यपालन यंत्री डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि., जिला उज्जैन. | औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. के विस्तारीकरण हेतु. |
| 2. | 89 | 0.410 | | |
| 3. | 90 | 0.590 | | |
| 4. | 91 | 0.450 | | |
| 5. | 81/1 | 0.500 | | |
| 6. | 82/2 | 0.100 | | |
| 7. | 84 | 0.110 | | |
| 8. | 85/1 | 0.270 | | |
| 9. | 86 | 0.170 | | |
| 10. | 87 | 0.240 | | |
| 11. | 81/2 | 0.900 | | |
| 12. | 82/1 | 0.220 | | |
| 13. | 83 | 0.140 | | |
| 14. | 85/2 | 0.130 | | |
| 15. | 92 | 0.480 | | |
| 16. | 93/1 | 1.150 | | |
| 17. | 93/2 | 1.000 | | |
| 18. | 93/3/1 | 0.900 | | |
| 19. | 93/3/2 | 0.100 | | |
| 20. | 94/1 | 0.200 | | |
| 21. | 94/2 | 0.600 | | |
| 22. | 94/3 | 1.000 | | |
| 23. | 94/4/1/1 | 0.100 | | |
| 24. | 94/4/1/2 | 0.400 | | |
| 25. | 94/4/2 | 0.500 | | |
| 26. | 94/5/1 | 0.800 | | |
| 27. | 94/5/2 | 0.200 | | |
| | | योग . . 11.810 | | |

(2) अधिनियम की धारा 15 (1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय कलेक्टर की भू–अर्जन शाखा) आपेक्ष यदि कोई हो फाइल किया जा सकेगा. भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) उज्जैन (ग्रामीण) कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. भू–अर्जन–2024–7372–रा.प्र.क्र. 0007–अ–82–2024–25.– चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड के विस्तारीकरण के लिए अधिग्रहित हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है. निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि–अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी

संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह कार्य औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि., उज्जैन के विस्तारीकरण के लिए है जो मध्यप्रदेश शासन औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है जिसका संबंध औद्योगिक विकास एवं आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से है. अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू–अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत् विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त योजना औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है जिससे क्षेत्र के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक–आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त परियोजना जो कि लोकहित में है. साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत् प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है :–

## अनुसूची (1)

| विवरण | अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर में |
|---|---|
| (1) | (2) |
| विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड के विस्तारीकरण हेतु औद्योगिक विकास एवं समग्र उन्नयन हेतु. | 90.570 हे. |

## अनुसूची (2)

1–भूमि का विवरण :–

(क) जिला – उज्जैन
(ख) तहसील – उज्जैन (ग्रामीण)
(ग) ग्राम – चैनपुर हंसखेडी
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल – 90.570 हे.

| क्र. | सर्वे नंबर | अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हे. में) | धारा–12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | 88/1/1/1 | 0.410 | कार्यपालन यंत्री डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि., जिला उज्जैन. | औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. के विस्तारीकरण हेतु. |
| 2. | 88/1/1/2 | 1.200 | | |
| 3. | 88/1/2/1 | 0.800 | | |
| 4. | 88/1/2/2 | 1.000 | | |
| 5. | 88/2/1 | 0.200 | | |
| 6. | 88/2/2 | 0.400 | | |
| 7. | 90/1/1 | 0.740 | | |
| 8. | 90/1/2 | 1.000 | | |
| 9. | 90/2/1 | 0.250 | | |
| 10. | 90/2/2 | 0.800 | | |
| 11. | 91 | 0.690 | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 12. | 95 | 2.520 | कार्यपालन यंत्री<br>डीएमआईसी विक्रम<br>उद्योगपुरी लि., जिला उज्जैन. | औद्योगिक क्षेत्र<br>डीएमआईसी विक्रम<br>उद्योगपुरी लि. के<br>विस्तारीकरण हेतु. |
| 13. | 96 | 0.890 | | |
| 14. | 98 | 1.220 | | |
| 15. | 99 | 1.690 | | |
| 16. | 100/1 | 2.800 | | |
| 17. | 100/2 | 2.010 | | |
| 18. | 101 | 1.920 | | |
| 19. | 102/1 | 1.340 | | |
| 20. | 102/2 | 1.340 | | |
| 21. | 103/1 | 1.080 | | |
| 22. | 103/2 | 2.490 | | |
| 23. | 104/1 | 0.120 | | |
| 24. | 104/2 | 0.790 | | |
| 25. | 104/3 | 0.790 | | |
| 26. | 106/1 | 0.600 | | |
| 27. | 106/2 | 1.400 | | |
| 28. | 107 | 0.770 | | |
| 29. | 108/1 | 0.500 | | |
| 30. | 108/2 | 1.140 | | |
| 31. | 108/3 | 0.560 | | |
| 32. | 109/1 | 5.690 | | |
| 33. | 109/2 | 1.400 | | |
| 34. | 109/3/1 | 0.400 | | |
| 35. | 109/3/2 | 0.400 | | |
| 36. | 110/1 | 0.200 | | |
| 37. | 110/2/1 | 0.590 | | |
| 38. | 110/2/2 | 0.290 | | |
| 39. | 110/3/1 | 0.020 | | |
| 40. | 110/3/2 | 0.200 | | |
| 41. | 110/4/1 | 0.110 | | |
| 42. | 110/4/2 | 0.090 | | |
| 43. | 111 | 0.930 | | |
| 44. | 112/1/1 | 1.500 | | |
| 45. | 112/1/2 | 1.500 | | |
| 46. | 112/2 | 1.270 | | |
| 47. | 112/3 | 1.700 | | |
| 48. | 112/4/1 | 0.670 | | |
| 49. | 112/4/2 | 0.200 | | |
| 50. | 112/5 | 1.200 | | |
| 51. | 113 | 2.510 | | |
| 52. | 114/1 | 2.400 | | |
| 53. | 114/2/1 | 0.200 | | |
| 54. | 114/2/2/1 | 1.200 | | |
| 55. | 114/2/2/2 | 2.890 | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 56. | 116/1 | 2.720 | कार्यपालन यंत्री डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि., जिला उज्जैन. | औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. के विस्तारीकरण हेतु. |
| 57. | 116/2 | 0.110 | | |
| 58. | 117/1/1 | 0.700 | | |
| 59. | 117/1/2 | 0.700 | | |
| 60. | 117/2 | 0.700 | | |
| 61. | 118/1/1 | 0.120 | | |
| 62. | 118/1/2 | 0.230 | | |
| 63. | 118/2 | 0.350 | | |
| 64. | 118/3 | 0.360 | | |
| 65. | 118/4 | 0.360 | | |
| 66. | 119 | 0.310 | | |
| 67. | 120/1 | 0.200 | | |
| 68. | 120/2 | 0.050 | | |
| 69. | 121 | 0.310 | | |
| 70. | 122 | 0.360 | | |
| 71. | 123/1 | 0.080 | | |
| 72. | 123/2 | 0.440 | | |
| 73. | 124 | 0.360 | | |
| 74. | 125 | 1.590 | | |
| 75. | 126 | 2.420 | | |
| 76. | 127/1 | 0.080 | | |
| 77. | 127/2 | 0.750 | | |
| 78. | 127/3 | 0.500 | | |
| 79. | 127/4 | 0.540 | | |
| 80. | 127/5 | 0.200 | | |
| 81. | 128/1 | 0.120 | | |
| 82. | 128/2 | 0.160 | | |
| 83. | 128/3/1 | 0.410 | | |
| 84. | 128/3/2 | 0.400 | | |
| 85. | 129/1 | 0.470 | | |
| 86. | 129/2 | 0.420 | | |
| 87. | 129/3 | 0.780 | | |
| 88. | 130/1 | 0.450 | | |
| 89. | 130/2 | 1.020 | | |
| 90. | 131 | 0.640 | | |
| 91. | 132 | 1.640 | | |
| 92. | 133/1/1 | 0.180 | | |
| 93. | 133/1/2 | 0.180 | | |
| 94. | 133/2 | 0.700 | | |
| 95. | 134 | 0.660 | | |
| 96. | 135/1 | 0.100 | | |
| 97. | 135/2 | 0.500 | | |
| 98. | 135/3 | 0.400 | | |
| 99. | 135/4 | 0.200 | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 100. | 135/5 | 0.290 | कार्यपालन यंत्री डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि., जिला उज्जैन. | औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. के विस्तारीकरण हेतु. |
| 101. | 136 | 1.240 | | |
| 102. | 137/1 | 0.480 | | |
| 103. | 137/2 | 0.200 | | |
| 104. | 137/3 | 0.300 | | |
| 105. | 137/4 | 0.300 | | |
| 106. | 138 | 0.210 | | |
| 107. | 139 | 0.250 | | |
| 108. | 140/1/1 | 0.100 | | |
| 109. | 140/1/2 | 0.770 | | |
| 110. | 140/2/1/1 | 0.100 | | |
| 111. | 140/2/1/2 | 0.100 | | |
| 112. | 140/2/2 | 0.100 | | |
| 113. | 141/1 | 0.570 | | |
| 114. | 141/3 | 0.570 | | |
| | | कुल रकबा . . 90.570 | | |

(2) अधिनियम की धारा 15 (1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय कलेक्टर की भू–अर्जन शाखा) आपेक्षों यदि कोई हो फाइल किया जा सकेगा. भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) उज्जैन (ग्रामीण) कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. भू–अर्जन–2024–7373–रा.प्र.क्र. 0003–अ–82–2024–25.– चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड के विस्तारीकरण के लिए अधिग्रहित हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है. निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि–अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह कार्य औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि., उज्जैन के विस्तारीकरण के लिए है जो मध्यप्रदेश शासन औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है जिसका संबंध औद्योगिक विकास एवं आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से है. अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू–अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत् विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त योजना औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है जिससे क्षेत्र के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक–आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त परियोजना जो कि लोकहित में है. साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत् प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है :–

## अनुसूची (1)

| विवरण | अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर में |
|---|---|
| (1) | (2) |
| विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड के विस्तारीकरण हेतु औद्योगिक विकास एवं समग्र उन्नयन हेतु. | 22.62 हे. |

## अनुसूची (2)

1–भूमि का विवरण :–

(क) जिला – उज्जैन

(ख) तहसील – उज्जैन (ग्रामीण)

(ग) ग्राम – पिपलौदा द्वारकाधीश

(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल – 22.62 हे.

| क्र. | सर्वे नंबर | अर्जन हेतु प्रस्तावित निजी भूमि रकबा (हे. में) | धारा–12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | 208 | 0.500 | कार्यपालन यंत्री डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि., जिला उज्जैन. | औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. के विस्तारीकरण हेतु. |
| 2. | 217 | 0.500 | | |
| 3. | 218 | 0.670 | | |
| 4. | 221/1 | 1.200 | | |
| 5. | 221/2 | 1.400 | | |
| 6. | 221/3 | 0.530 | | |
| 7. | 221/4 | 0.530 | | |
| 8. | 221/11 | 0.500 | | |
| 9. | 221/12 | 0.500 | | |
| 10. | 221/13 | 0.500 | | |
| 11. | 221/14 | 0.500 | | |
| 12. | 221/15 | 0.500 | | |
| 13. | 221/16 | 0.500 | | |
| 14. | 221/7 | 0.500 | | |
| 15. | 209/1 | 1.220 | | |
| 16. | 209/2 | 0.400 | | |
| 17. | 210/1 | 2.610 | | |
| 18. | 210/2 | 1.000 | | |
| 19. | 211 | 2.280 | | |
| 20. | 214 | 0.460 | | |
| 21. | 216 | 0.580 | | |
| 22. | 212 | 0.060 | | |
| 23. | 213 | 0.800 | | |
| 24. | 215 | 0.800 | | |
| 25. | 219/1/1 | 0.300 | | |
| 26. | 219/1/2/1 | 0.320 | | |
| 27. | 220/1/1 | 0.270 | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 28. | 219/1/2/2 | 0.190 | कार्यपालन यंत्री डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. जिला उज्जैन. | औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. के विस्तारीकरण हेतु. |
| 29. | 220/1/2 | 0.110 | | |
| 30. | 219/1/2/3 | 0.320 | | |
| 31. | 220/1/3 | 0.270 | | |
| 32. | 219/2/1 | 0.310 | | |
| 33. | 220/2/1 | 0.190 | | |
| 34. | 219/2/2 | 0.320 | | |
| 35. | 220/2/2 | 0.180 | | |
| 36. | 221/6 | 0.800 | | |
| | | कुल रकबा . . 22.62 | | |

(2) अधिनियम की धारा 15 (1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय कलेक्टर की भू–अर्जन शाखा) आपेक्ष यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा. भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) उज्जैन (ग्रामीण) कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. भू–अर्जन–2024–7374–रा.प्र.क्र. 0004–अ–82–2024–25.– चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड के विस्तारीकरण के लिए अधिग्रहित हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है. निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि–अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह कार्य औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि., उज्जैन के विस्तारीकरण के लिए है जो मध्यप्रदेश शासन औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है जिसका संबंध औद्योगिक विकास एवं आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से है. अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू–अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत् विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त योजना औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है जिससे क्षेत्र के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक–आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त परियोजना जो कि लोकहित में है. साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत् प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है :–

## अनुसूची (1)

| विवरण | अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर में |
|---|---|
| (1) | (2) |
| विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड के विस्तारीकरण हेतु औद्योगिक विकास एवं समग्र उन्नयन हेतु. | 31.550 हे. |

## अनुसूची (2)

1–भूमि का विवरण :–

(क) जिला – उज्जैन
(ख) तहसील – उज्जैन (ग्रामीण)
(ग) ग्राम – मुंजाखेड़ी
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल – 31.550 हे.

| क्र. | सर्वे नंबर | अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हे. में) | धारा–12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | 1/1 | 0.410 | कार्यपालन यंत्री डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. जिला उज्जैन. | औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. के विस्तारीकरण हेतु. |
| 2. | 1/2 | 0.200 | | |
| 3. | 2/1 | 0.800 | | |
| 4. | 2/2 | 0.150 | | |
| 5. | 3 | 0.500 | | |
| 6. | 4/1 | 0.050 | | |
| 7. | 4/2 | 0.300 | | |
| 8. | 4/3 | 0.130 | | |
| 9. | 5 | 0.050 | | |
| 10. | 6 | 0.400 | | |
| 11. | 7 | 0.330 | | |
| 12. | 8/1 | 0.170 | | |
| 13. | 8/2 | 1.210 | | |
| 14. | 9/1 | 0.100 | | |
| 15. | 9/2 | 0.190 | | |
| 16. | 33/1 | 0.020 | | |
| 17. | 33/2 | 0.460 | | |
| 18. | 33/3 | 0.150 | | |
| 19. | 33/4 | 0.060 | | |
| 20. | 35 | 0.420 | | |
| 21. | 37/1 | 1.520 | | |
| 22. | 37/2 | 0.180 | | |
| 23. | 38/1 | 0.170 | | |
| 24. | 38/2 | 0.460 | | |
| 25. | 38/3 | 0.090 | | |
| 26. | 39/1 | 0.790 | | |
| 27. | 39/2 | 0.500 | | |
| 28. | 40/1 | 0.120 | | |
| 29. | 40/2 | 0.250 | | |
| 30. | 42 | 0.150 | | |
| 31. | 43 | 0.110 | | |
| 32. | 44 | 1.630 | | |
| 33. | 45 | 0.050 | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 34. | 46 | 0.120 | कार्यपालन यंत्री डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. जिला उज्जैन. | औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. के विस्तारीकरण हेतु. |
| 35. | 47 | 0.070 | | |
| 36. | 48 | 0.020 | | |
| 37. | 49 | 0.800 | | |
| 38. | 54 | 0.660 | | |
| 39. | 55 | 1.690 | | |
| 40. | 56/1 | 0.070 | | |
| 41. | 56/2 | 0.060 | | |
| 42. | 56/3 | 0.060 | | |
| 43. | 56/4 | 0.060 | | |
| 44. | 57/1 | 1.030 | | |
| 45. | 57/2 | 1.040 | | |
| 46. | 59 | 0.800 | | |
| 47. | 60 | 0.800 | | |
| 48. | 61/1 | 0.500 | | |
| 49. | 61/2 | 0.300 | | |
| 50. | 67/1 | 0.240 | | |
| 51. | 67/2 | 0.300 | | |
| 52. | 67/3 | 0.140 | | |
| 53. | 67/4 | 0.570 | | |
| 54. | 67/5 | 0.560 | | |
| 55. | 41/1 | 0.500 | | |
| 56. | 41/2 | 0.100 | | |
| 57. | 53 | 0.100 | | |
| 58. | 68/1 | 0.180 | | |
| 59. | 68/2 | 0.200 | | |
| 60. | 68/3 | 0.200 | | |
| 61. | 68/4 | 0.200 | | |
| 62. | 69 | 0.870 | | |
| 63. | 71 | 0.760 | | |
| 64. | 72/1 | 0.310 | | |
| 65. | 72/2 | 0.620 | | |
| 66. | 75/1 | 0.800 | | |
| 67. | 75/2/1 | 0.200 | | |
| 68. | 75/2/2 | 0.050 | | |
| 69. | 10/1 | 0.750 | | |
| 70. | 10/2 | 0.600 | | |
| 71. | 11 | 0.440 | | |
| 72. | 13/1 | 1.220 | | |
| 73. | 13/2 | 0.410 | | |
| 74. | 13/3 | 0.210 | | |
| 75. | 76/1 | 0.260 | | |
| 76. | 76/2/1 | 0.260 | | |
| 77. | 76/2/2/1/1 | 0.080 | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 78. | 76/2/2/1/2 | 0.120 | कार्यपालन यंत्री डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. जिला उज्जैन. | औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. के विस्तारीकरण हेतु. |
| 79. | 76/2/2/2 | 0.100 | | |
| | | कुल रकबा . . 31.550 | | |

(2) अधिनियम की धारा 15 (1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय कलेक्टर की भू–अर्जन शाखा) आक्षेपों यदि कोई हो फाइल किया जा सकेगा. भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) उज्जैन (ग्रामीण) कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. भू–अर्जन–2024–7375–रा.प्र.क्र. 0005–अ–82–2024–25.– चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड के विस्तारीकरण के लिए अधिग्रहित हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है. निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि–अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह कार्य औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि., उज्जैन के विस्तारीकरण के लिए है जो मध्यप्रदेश शासन औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है जिसका संबंध औद्योगिक विकास एवं आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से है. अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू–अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत् विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त योजना औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है जिससे क्षेत्र के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक–आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त परियोजना जो कि लोकहित में है. साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत् प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है :–

## अनुसूची (1)

| विवरण (1) | अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर में (2) |
|---|---|
| विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड के विस्तारीकरण हेतु औद्योगिक विकास एवं समग्र उन्नयन हेतु. | 46.760 हे. |

## अनुसूची (2)

1–भूमि का विवरण :–

| | | |
|---|---|---|
| (क) जिला | – | उज्जैन |
| (ख) तहसील | – | उज्जैन (ग्रामीण) |
| (ग) ग्राम | – | गांवडी |
| (घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल | – | 46.760 हे. |

| क्र. | सर्वे नंबर | अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हे. में) | धारा–12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | 199 | 1.210 | कार्यपालन यंत्री डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. जिला उज्जैन. | औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. के विस्तारीकरण हेतु. |
| 2. | 200 | 0.370 | | |
| 3. | 198 | 0.100 | | |
| 4. | 197 | 0.560 | | |
| 5. | 196 | 0.580 | | |
| 6. | 195/1 | 0.630 | | |
| 7. | 235/2 | 0.590 | | |
| 8. | 235/1 | 0.600 | | |
| 9. | 234 | 1.180 | | |
| 10. | 233/2 | 0.790 | | |
| 11. | 233/1 | 0.390 | | |
| 12. | 232 | 0.400 | | |
| 13. | 231/2 | 1.000 | | |
| 14. | 203/3 | 0.600 | | |
| 15. | 203/2 | 0.680 | | |
| 16. | 203/1/2 | 0.200 | | |
| 17. | 203/1/1/2 | 0.100 | | |
| 18. | 203/1/1/1 | 0.460 | | |
| 19. | 202/3 | 0.500 | | |
| 20. | 202/2 | 0.510 | | |
| 21. | 202/1 | 1.010 | | |
| 22. | 201 | 2.090 | | |
| 23. | 229/1 | 0.690 | | |
| 24. | 230 | 2.090 | | |
| 25. | 220 | 0.830 | | |
| 26. | 221 | 0.250 | | |
| 27. | 222 | 0.220 | | |
| 28. | 218 | 0.230 | | |
| 29. | 217 | 0.230 | | |
| 30. | 216 | 0.220 | | |
| 31. | 229/2/2 | 0.500 | | |
| 32. | 229/2/1 | 0.180 | | |
| 33. | 229/3 | 0.680 | | |
| 34. | 228 | 0.110 | | |
| 35. | 227 | 0.100 | | |
| 36. | 226 | 0.100 | | |
| 37. | 225 | 0.780 | | |
| 38. | 224 | 0.390 | | |
| 39. | 223 | 0.400 | | |
| 40. | 215 | 0.340 | | |
| 41. | 214 | 0.300 | | |
| 42. | 213 | 0.310 | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 43. | 208 | 0.290 | कार्यपालन यंत्री डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. जिला उज्जैन. | औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. के विस्तारीकरण हेतु. |
| 44. | 207 | 0.180 | | |
| 45. | 206 | 0.110 | | |
| 46. | 205 | 0.290 | | |
| 47. | 204/2/2 | 0.330 | | |
| 48. | 204/2/1 | 0.330 | | |
| 49. | 204/1 | 0.340 | | |
| 50. | 209 | 0.290 | | |
| 51. | 210 | 0.300 | | |
| 52. | 211/2 | 0.110 | | |
| 53. | 211/1 | 0.110 | | |
| 54. | 212/1/3 | 0.410 | | |
| 55. | 212/1/2 | 0.410 | | |
| 56. | 212/1/1 | 0.420 | | |
| 57. | 212/4 | 0.410 | | |
| 58. | 258 | 0.870 | | |
| 59. | 259/1 | 0.590 | | |
| 60. | 259/2 | 0.100 | | |
| 61. | 261/1 | 0.100 | | |
| 62. | 261/2 | 0.140 | | |
| 63. | 279/1 | 0.220 | | |
| 64. | 279/2 | 0.680 | | |
| 65. | 279/3 | 0.200 | | |
| 66. | 280/1 | 1.700 | | |
| 67. | 280/2 | 0.400 | | |
| 68. | 281 | 1.900 | | |
| 69. | 282/1 | 0.470 | | |
| 70. | 282/2 | 0.800 | | |
| 71. | 282/3 | 0.800 | | |
| 72. | 283 | 0.940 | | |
| 73. | 284 | 0.460 | | |
| 74. | 285 | 0.460 | | |
| 75. | 286 | 0.470 | | |
| 76. | 287 | 0.520 | | |
| 77. | 288/1 | 0.840 | | |
| 78. | 288/2 | 0.360 | | |
| 79. | 288/3 | 0.650 | | |
| 80. | 289 | 1.870 | | |
| 81. | 290/1 | 0.620 | | |
| 82. | 290/2 | 0.600 | | |
| 83. | 290/3 | 0.200 | | |
| 84. | 295/1 | 0.190 | | |
| 85. | 295/2 | 0.700 | | |
| 86. | 295/3 | 0.840 | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 87. | 260 | 0.240 | कार्यपालन यंत्री डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. जिला उज्जैन. | औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. के विस्तारीकरण हेतु. |
| | | कुल रकबा . . 46.760 | | |

(2) अधिनियम की धारा 15 (1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय कलेक्टर की भू–अर्जन शाखा) आपेक्षों यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा. भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) उज्जैन (ग्रामीण) कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. भू–अर्जन–2024–7376–रा.प्र.क्र. 0002–अ–82–2024–25.– चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड के विस्तारीकरण के लिए अधिग्रहित हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है. निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि–अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह कार्य औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि., उज्जैन के विस्तारीकरण के लिए है जो मध्यप्रदेश शासन औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है जिसका संबंध औद्योगिक विकास एवं आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से है. अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू–अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत् विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त योजना औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है जिससे क्षेत्र के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक–आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त परियोजना जो कि लोकहित में है. साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत् प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है :–

## अनुसूची (1)

| विवरण | अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर में |
|---|---|
| (1) | (2) |
| विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड के विस्तारीकरण हेतु औद्योगिक विकास एवं समग्र उन्नयन हेतु. | 38.91 हे. |

## अनुसूची (2)

1–भूमि का विवरण :–

| | | |
|---|---|---|
| (क) जिला | – | उज्जैन |
| (ख) तहसील | – | उज्जैन (ग्रामीण) |
| (ग) ग्राम | – | कड़छा |
| (घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल | – | 39.91 हे. |

| क्र. | सर्वे नंबर | अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हे. में) | धारा–12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | 452 | 2.700 | कार्यपालन यंत्री डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. जिला उज्जैन. | औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. के विस्तारीकरण हेतु. |
| 2. | 453 | 0.740 | | |
| 3. | 460/1 | 0.750 | | |
| 4. | 460/2 | 0.090 | | |
| 5. | 460/3 | 0.040 | | |
| 6. | 461 | 0.410 | | |
| 7. | 462 | 0.600 | | |
| 8. | 463 | 0.600 | | |
| 9. | 464 | 1.520 | | |
| 10. | 465 | 0.570 | | |
| 11. | 466 | 0.900 | | |
| 12. | 467/1 | 1.420 | | |
| 13. | 467/2 | 2.700 | | |
| 14. | 468 | 2.500 | | |
| 15. | 469 | 0.870 | | |
| 16. | 470 | 4.200 | | |
| 17. | 471 | 2.540 | | |
| 18. | 472 | 0.590 | | |
| 19. | 473 | 1.450 | | |
| 20. | 474 | 0.470 | | |
| 21. | 475 | 0.240 | | |
| 22. | 476 | 0.350 | | |
| 23. | 477 | 0.300 | | |
| 24. | 478 | 0.610 | | |
| 25. | 479 | 0.790 | | |
| 26. | 480/1 | 0.710 | | |
| 27. | 480/2 | 0.750 | | |
| 28. | 480/3 | 0.750 | | |
| 29. | 481/1 | 1.640 | | |
| 30. | 481/2 | 1.100 | | |
| 31. | 482 | 4.040 | | |
| 32. | 431/1 | 0.490 | | |
| 33. | 431/2 | 0480 | | |
| 34. | 441/1 | 0.190 | | |
| 35. | 441/2 | 0.180 | | |
| 36. | 459 | 0.630 | | |
| | | कुल रकबा . . 38.91 | | |

(2) अधिनियम की धारा 15 (1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय कलेक्टर की भू–अर्जन शाखा) आपेक्षों यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा. भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) उज्जैन (ग्रामीण) कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. भू–अर्जन–2024–7377–रा.प्र.क्र. 0006–अ–82–2024–25.– चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड के विस्तारीकरण के लिए अधिग्रहित हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांकवार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है. निम्न वर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि–अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह कार्य औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि., उज्जैन के विस्तारीकरण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है, जिसका संबंध औद्योगिक विकास एवं आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से है. अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू–अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत् विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त योजना औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है जिससे क्षेत्र के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक–आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त परियोजना जो कि लोकहित में है. साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत् प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है :–

## अनुसूची (1)

| विवरण | अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड के विस्तारीकरण हेतु औद्योगिक विकास एवं समग्र उन्नयन हेतु. | 231.078 हे. |

## अनुसूची (2)

1–भूमि का विवरण :–

(क) जिला – उज्जैन
(ख) तहसील – उज्जैन (ग्रामीण)
(ग) ग्राम – नरवर
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल – 231.078 हेक्टेयर.

| क्र. | सर्वे नंबर | अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हे. में) | धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | 55 | 0.250 | कार्यपालन यंत्री, डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि., जिला उज्जैन. | औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. के विस्तारीकरण हेतु. |
| 2. | 57 | 0.420 | | |
| 3. | 61 | 1.320 | | |
| 4. | 62 | 1.340 | | |
| 5. | 64 | 1.510 | | |
| 6. | 65 | 1.710 | | |
| 7. | 66 | 2.950 | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 8. | 68 | 1.120 | कार्यपालन यंत्री, डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि., जिला उज्जैन. | औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. के विस्तारीकरण हेतु. |
| 9. | 70 | 1.400 | | |
| 10. | 71 | 0.820 | | |
| 11. | 72 | 1.130 | | |
| 12. | 73/1 | 0.820 | | |
| 13. | 73/2 | 0.600 | | |
| 14. | 78 | 2.150 | | |
| 15. | 488 | 1.130 | | |
| 16. | 490 | 1.120 | | |
| 17. | 508 | 0.610 | | |
| 18. | 509 | 0.180 | | |
| 19. | 510 | 0.180 | | |
| 20. | 511 | 0.790 | | |
| 21. | 512 | 0.630 | | |
| 22. | 513 | 0.700 | | |
| 23. | 515 | 1.260 | | |
| 24. | 521 | 2.790 | | |
| 25. | 523 | 2.270 | | |
| 26. | 489/1 | 0.980 | | |
| 27. | 489/2 | 0.200 | | |
| 28. | 491/1 | 1.120 | | |
| 29. | 491/2 | 0.030 | | |
| 30. | 491/3 | 0.010 | | |
| 31. | 507/1 | 0.410 | | |
| 32. | 507/2 | 0.200 | | |
| 33. | 514/1 | 0.400 | | |
| 34. | 514/2 | 0.270 | | |
| 35. | 516/1 | 2.620 | | |
| 36. | 516/2 | 0.970 | | |
| 37. | 516/3 | 0.770 | | |
| 38. | 517/1 | 0.720 | | |
| 39. | 517/2 | 1.690 | | |
| 40. | 518/1 | 1.980 | | |
| 41. | 518/2 | 1.980 | | |
| 42. | 518/3 | 1.960 | | |
| 43. | 52/1 | 0.380 | | |
| 44. | 52/2 | 0.380 | | |
| 45. | 520/1 | 0.140 | | |
| 46. | 520/2 | 0.150 | | |
| 47. | 520/3 | 0.150 | | |
| 48. | 520/4 | 0.150 | | |
| 49. | 522/1 | 0.930 | | |
| 50. | 522/2 | 0.920 | | |
| 51. | 53/1 | 0.830 | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 52. | 53/2/1 | 0.420 | कार्यपालन यंत्री, डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि., जिला उज्जैन. | औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. के विस्तारीकरण हेतु. |
| 53. | 53/2/2 | 0.420 | | |
| 54. | 53/3 | 0.840 | | |
| 55. | 53/4 | 0.830 | | |
| 56. | 54/1 | 1.000 | | |
| 57. | 54/2 | 1.000 | | |
| 58. | 59/1 | 1.480 | | |
| 59. | 59/2 | 1.480 | | |
| 60. | 59/3 | 1.480 | | |
| 61. | 59/4 | 1.480 | | |
| 62. | 60/1 | 1.400 | | |
| 63. | 60/2 | 0.080 | | |
| 64. | 65/1920 | 1.540 | | |
| 65. | 68/1930 | 0.840 | | |
| 66. | 69/1 | 0.520 | | |
| 67. | 69/2 | 1.000 | | |
| 68. | 41/1 | 0.260 | | |
| 69. | 41/2 | 0.360 | | |
| 70. | 42/1 | 1.090 | | |
| 71. | 43 | 1.120 | | |
| 72. | 44/1 | 0.660 | | |
| 73. | 44/2 | 0.290 | | |
| 74. | 44/3 | 0.640 | | |
| 75. | 45/1/1/1 | 0.400 | | |
| 76. | 45/1/1/2 | 0.200 | | |
| 77. | 45/2/2 | 0.080 | | |
| 78. | 45/2/3 | 0.210 | | |
| 79. | 46/1 | 0.200 | | |
| 80. | 47/1/1 | 0.100 | | |
| 81. | 47/1/2 | 0.350 | | |
| 82. | 47/2 | 0.100 | | |
| 83. | 47/3 | 0.420 | | |
| 84. | 48/1 | 0.580 | | |
| 85. | 48/2 | 0.260 | | |
| 86. | 48/3 | 0.170 | | |
| 87. | 49 | 2.090 | | |
| 88. | 77/1 | 0.520 | | |
| 89. | 77/2 | 0.200 | | |
| 90. | 80/1/1 | 0.410 | | |
| 91. | 80/1/2 | 0.130 | | |
| 92. | 80/1/3 | 0.090 | | |
| 93. | 80/2 | 0.600 | | |
| 94. | 81/1 | 1.040 | | |
| 95. | 81/2/1 | 0.953 | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 96. | 81/2/2 | 0.465 | कार्यपालन यंत्री, डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि., जिला उज्जैन. | औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. के विस्तारीकरण हेतु. |
| 97. | 81/3 | 1.020 | | |
| 98. | 81/4 | 1.020 | | |
| 99. | 288/1 | 0.520 | | |
| 100. | 288/2 | 0.520 | | |
| 101. | 228/1 | 1.000 | | |
| 102. | 228/2 | 0.880 | | |
| 103. | 229/1 | 2.000 | | |
| 104. | 229/2/1 | 0.640 | | |
| 105. | 229/2/2 | 0.100 | | |
| 106. | 229/3 | 0.740 | | |
| 107. | 230/1 | 1.050 | | |
| 108. | 230/2 | 0.550 | | |
| 109. | 230/3 | 0.500 | | |
| 110. | 230/4 | 1.050 | | |
| 111. | 230/5 | 0.640 | | |
| 112. | 230/6 | 0.400 | | |
| 113. | 231 | 0.830 | | |
| 114. | 232/1 | 0.960 | | |
| 115. | 232/2/1 | 0.300 | | |
| 116. | 232/2/2 | 0.300 | | |
| 117. | 233/1/1 | 0.290 | | |
| 118. | 233/1/2 | 0.330 | | |
| 119. | 233/2 | 0.200 | | |
| 120. | 233/3 | 0.400 | | |
| 121. | 234 | 1.470 | | |
| 122. | 235/1 | 0.520 | | |
| 123. | 235/2 | 0.530 | | |
| 124. | 236 | 1.040 | | |
| 125. | 237 | 0.830 | | |
| 126. | 238/1 | 0.400 | | |
| 127. | 238/2 | 0.810 | | |
| 128. | 239/1/1 | 0.270 | | |
| 129. | 239/1/2 | 0.730 | | |
| 130. | 239/2 | 0.360 | | |
| 131. | 240 | 0.110 | | |
| 132. | 241/1 | 0.520 | | |
| 133. | 241/2 | 0.520 | | |
| 134. | 242 | 0.650 | | |
| 135. | 243/1 | 0.920 | | |
| 136. | 243/2 | 0.500 | | |
| 137. | 243/3 | 0.260 | | |
| 138. | 244/1 | 0.980 | | |
| 139. | 244/2 | 0.980 | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 140. | 245 | 1.970 | कार्यपालन यंत्री, डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि., जिला उज्जैन. | औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. के विस्तारीकरण हेतु. |
| 141. | 246/1 | 0.780 | | |
| 142. | 246/2/1 | 0.520 | | |
| 143. | 246/2/2 | 0.480 | | |
| 144. | 247/1/1 | 0.350 | | |
| 145. | 247/1/2 | 0.290 | | |
| 146. | 247/2/2 | 0.650 | | |
| 147. | 247/2/3 | 0.310 | | |
| 148. | 247/4 | 0.050 | | |
| 149. | 248/1/2 | 0.100 | | |
| 150. | 248/1/3 | 0.140 | | |
| 151. | 248/2 | 0.100 | | |
| 152. | 248/4 | 0.020 | | |
| 153. | 249/1 | 0.340 | | |
| 154. | 249/2 | 0.310 | | |
| 155. | 250/1 | 0.410 | | |
| 156. | 250/2 | 0.370 | | |
| 157. | 250/3 | 0.300 | | |
| 158. | 251/1 | 0.400 | | |
| 159. | 251/2 | 0.400 | | |
| 160. | 252 | 0.800 | | |
| 161. | 253 | 0.620 | | |
| 162. | 254 | 0.620 | | |
| 163. | 255 | 0.800 | | |
| 164. | 256 | 0.780 | | |
| 165. | 257 | 0.790 | | |
| 166. | 258 | 0.790 | | |
| 167. | 259 | 1.920 | | |
| 168. | 260 | 1.920 | | |
| 169. | 261 | 4.840 | | |
| 170. | 262/1 | 0.300 | | |
| 171. | 262/2 | 1.190 | | |
| 172. | 263 | 1.040 | | |
| 173. | 264/1 | 2.000 | | |
| 174. | 264/2 | 2.000 | | |
| 175. | 264/3 | 2.000 | | |
| 176. | 265 | 0.520 | | |
| 177. | 266 | 0.620 | | |
| 178. | 267/1 | 0.400 | | |
| 179. | 267/2 | 0.030 | | |
| 180. | 267/3 | 0.390 | | |
| 181. | 267/4 | 0.180 | | |
| 182. | 268 | 0.410 | | |
| 183. | 269 | 0.200 | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 184. | 270 | 0.210 | कार्यपालन यंत्री, डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि., जिला उज्जैन. | औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. के विस्तारीकरण हेतु. |
| 185. | 271 | 0.420 | | |
| 186. | 272 | 0.420 | | |
| 187. | 273 | 0.820 | | |
| 188. | 274 | 0.630 | | |
| 189. | 275/1 | 0.580 | | |
| 190. | 275/2 | 1.210 | | |
| 191. | 276/1 | 0.170 | | |
| 192. | 276/2 | 1.270 | | |
| 193. | 276/3 | 0.470 | | |
| 194. | 277/1 | 1.090 | | |
| 195. | 277/2 | 0.520 | | |
| 196. | 278 | 0.450 | | |
| 197. | 279/1 | 0.380 | | |
| 198. | 279/2 | 0.280 | | |
| 199. | 280 | 0.880 | | |
| 200. | 283/1 | 0.850 | | |
| 201. | 283/2 | 2.340 | | |
| 202. | 283/3 | 0.520 | | |
| 203. | 284/1 | 0.510 | | |
| 204. | 284/2 | 1.050 | | |
| 205. | 284/3 | 0.260 | | |
| 206. | 287/1 | 1.290 | | |
| 207. | 287/2 | 0.490 | | |
| 208. | 289 | 1.040 | | |
| 209. | 347 | 0.320 | | |
| 210. | 348 | 0.360 | | |
| 211. | 349 | 0.630 | | |
| 212. | 350 | 0.350 | | |
| 213. | 351 | 0.970 | | |
| 214. | 352/1 | 0.200 | | |
| 215. | 352/1/2 | 0.080 | | |
| 216. | 352/2 | 0.400 | | |
| 217. | 353/1/1 | 0.180 | | |
| 218. | 353/1/2/1 | 0.020 | | |
| 219. | 353/1/2/2 | 0.030 | | |
| 220. | 353/1/2/3 | 0.030 | | |
| 221. | 353/2/1 | 0.110 | | |
| 222. | 353/2/2 | 0.170 | | |
| 223. | 353/2/3 | 0.170 | | |
| 224. | 354/1 | 0.420 | | |
| 225. | 354/2/1 | 0.240 | | |
| 226. | 354/2/2/1 | 0.060 | | |
| 227. | 354/2/2/2 | 0.040 | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 228. | 354/2/2/3 | 0.020 | कार्यपालन यंत्री, डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि., जिला उज्जैन. | औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. के विस्तारीकरण हेतु. |
| 229. | 354/3/1 | 0.160 | | |
| 230. | 354/3/2 | 0.150 | | |
| 231. | 354/3/3 | 0.050 | | |
| 232. | 356 | 1.820 | | |
| 233. | 357/1 | 0.250 | | |
| 234. | 357/2 | 0.510 | | |
| 235. | 358/1 | 0.210 | | |
| 236. | 358/2 | 0.210 | | |
| 237. | 358/3 | 0.210 | | |
| 238. | 358/4/1 | 0.750 | | |
| 239. | 358/4/2 | 0.470 | | |
| 240. | 359/1 | 0.940 | | |
| 241. | 359/2 | 0.740 | | |
| 242. | 360 | 1.660 | | |
| 243. | 361/1 | 0.200 | | |
| 244. | 361/2 | 0.200 | | |
| 245. | 361/3/1 | 0.310 | | |
| 246. | 361/3/2 | 0.520 | | |
| 247. | 361/4 | 0.830 | | |
| 248. | 361/5/1 | 0.150 | | |
| 249. | 361/5/2 | 0.250 | | |
| 250. | 362/1 | 0.430 | | |
| 251. | 362/2 | 0.710 | | |
| 252. | 363/1 | 0.970 | | |
| 253. | 363/2 | 0.970 | | |
| 254. | 364 | 0.960 | | |
| 255. | 365 | 0.900 | | |
| 256. | 366 | 1.130 | | |
| 257. | 367 | 0.970 | | |
| 258. | 368/1 | 0.660 | | |
| 259. | 368/2 | 0.330 | | |
| 260. | 369 | 0.850 | | |
| 261. | 370 | 1.130 | | |
| 262. | 371/1 | 1.100 | | |
| 263. | 371/2 | 0.440 | | |
| 264. | 371/3 | 0.400 | | |
| 265. | 372 | 0.150 | | |
| 266. | 373 | 0.180 | | |
| 267. | 374 | 0.280 | | |
| 268. | 375 | 0.200 | | |
| 269. | 376 | 0.200 | | |
| 270. | 377 | 0.200 | | |
| 271. | 380/1 | 0.610 | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 272. | 380/2 | 0.620 | कार्यपालन यंत्री, डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि., जिला उज्जैन. | औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. के विस्तारीकरण हेतु. |
| 273. | 380/3 | 0.170 | | |
| 274. | 381/1 | 0.300 | | |
| 275. | 381/2 | 0.480 | | |
| 276. | 381/3 | 0.380 | | |
| 277. | 381/4 | 0.040 | | |
| 278. | 382/1 | 0.580 | | |
| 279. | 382/2 | 0.620 | | |
| 280. | 383/1 | 0.920 | | |
| 281. | 463/1 | 0.150 | | |
| 282. | 463/2 | 0.200 | | |
| 283. | 463/3 | 1.400 | | |
| 284. | 464 | 1.750 | | |
| 285. | 473/1 | 0.030 | | |
| 286. | 473/2 | 0.030 | | |
| 287. | 474 | 1.470 | | |
| 288. | 475 | 0.530 | | |
| 289. | 476 | 1.190 | | |
| 290. | 477 | 0.080 | | |
| 291. | 478 | 0.080 | | |
| 292. | 479/1 | 0.220 | | |
| 293. | 479/2 | 0.040 | | |
| 294. | 480 | 0.080 | | |
| 295. | 481 | 0.350 | | |
| 296. | 482/1 | 0.690 | | |
| 297. | 482/2 | 0.380 | | |
| 298. | 482/3 | 0.170 | | |
| 299. | 483/1 | 0.300 | | |
| 300. | 483/2 | 0.420 | | |
| 301. | 483/3 | 0.130 | | |
| 302. | 484 | 0.400 | | |
| 303. | 485 | 2.600 | | |
| 304. | 496 | 0.580 | | |
| 305. | 497/1 | 0.140 | | |
| 306. | 497/2 | 0.140 | | |
| 307. | 497/3 | 0.140 | | |
| 308. | 498/1 | 0.920 | | |
| 309. | 498/2 | 0.140 | | |
| 310. | 498/3 | 0.140 | | |
| 311. | 499 | 0.140 | | |
| 312. | 500 | 0.170 | | |
| 313. | 501 | 1.250 | | |
| 314. | 520/1 | 0.270 | | |
| 315. | 502/2 | 1.120 | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 316. | 502/3 | 0.170 | कार्यपालन यंत्री, डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि., जिला उज्जैन. | औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. के विस्तारीकरण हेतु. |
| 317. | 502/4 | 0.500 | | |
| 318. | 503/1 | 0.100 | | |
| 319. | 503/2 | 0.200 | | |
| 320. | 503/3 | 1.490 | | |
| 321. | 504/1 | 0.090 | | |
| 322. | 504/2 | 1.190 | | |
| 323. | 549/1/1 | 0.690 | | |
| 324. | 549/1/2 | 0.400 | | |
| 325. | 549/2 | 0.020 | | |
| 326. | 549/3 | 0.180 | | |
| 327. | 560/1 | 0.020 | | |
| 328. | 560/2 | 1.090 | | |
| 329. | 560/3 | 0.180 | | |
| 330. | 561/1 | 0.360 | | |
| 331. | 561/2 | 0.180 | | |
| 332. | 561/3 | 0.360 | | |
| 333. | 562 | 1.140 | | |
| 334. | 563 | 0.620 | | |
| 335. | 565/1 | 0.380 | | |
| 336. | 565/2 | 0.380 | | |
| 337. | 566 | 1.050 | | |
| 338. | 540 | 0.780 | | |
| 339. | 547/1 | 0.550 | | |
| 340. | 547/2 | 0.200 | | |
| 341. | 547/3 | 0.200 | | |
| 342. | 548 | 1.020 | | |
| 343. | 550/1 | 0.270 | | |
| 344. | 550/2 | 0.270 | | |
| 345. | 564/1 | 0.210 | | |
| 346. | 564/2 | 0.210 | | |
| 347. | 505/1 | 0.420 | | |
| 348. | 505/2 | 0.530 | | |
| 349. | 505/3 | 0.930 | | |
| 350. | 290 | 1.250 | | |
| 351. | 291 | 1.300 | | |
| 352. | 355/1 | 0.260 | | |
| 353. | 355/2 | 1.200 | | |
| | | कुल रकबा . . 231.078 | | |

(2) अधिनियम की धारा 15 (1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय, कलेक्टर की भू–अर्जन शाखा) आक्षेपों यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा. भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) उज्जैन (ग्रामीण) कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**नीरज सिंह**, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

# कार्यालय, कलेक्टर, जिला मैहर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र.–137–भू–अर्जन–24

मैहर, दिनांक 3 सितम्बर 2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू–अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.–एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:–

**अनुसूची**

(1) भूमि का वर्णन:– (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला –**मैहर**

(ख) तहसील– **मैहर**

(ग) नगर /ग्राम – **उफरी**

(घ) क्षेत्रफल– 2.7350.हे0

| क0 | खसरा नं. | अर्जित रकबा |
|---|---|---|
| 1 | 35/1 | 0.0020 |
| 2 | 26 | 0.0420 |
| 3 | 55 | 0.0010 |
| 4 | 57 | 0.0070 |
| 5 | 50/2 | 0.0030 |
| 6 | 118 | 0.0060 |
| 7 | 110 | 0.0040 |
| 8 | 109 | 0.1050 |
| 9 | 102 | 0.0040 |
| 10 | 96/2 | 0.2000 |
| 11 | 101/2 | 0.0040 |
| 12 | 89/4 | 0.0110 |
| 13 | 114/1 | 0.0180 |
| 14 | 114/2 | 0.0180 |
| 15 | 114/3 | 0.0180 |
| 16 | 114/4 | 0.0060 |
| 17 | 27/1 | 0.0520 |
| 18 | 74 | 0.0140 |
| 19 | 117 | 0.0040 |
| 20 | 85/1 | 0.1850 |
| 21 | 85/4 | 0.0210 |
| 22 | 85/5 | 0.0310 |
| 23 | 90 | 0.0020 |
| 24 | 91/1 | 0.1940 |
| 25 | 91/2 | 0.1940 |
| 26 | 92/1 | 0.0450 |
| 27 | 92/2 | 0.1020 |
| 28 | 49/1 | 0.0670 |
| 29 | 49/2/1/2 | 0.0210 |
| 30 | 49/2/2 | 0.0730 |
| 31 | 49/2/3 | 0.0370 |
| 32 | 56 | 0.0600 |
| 33 | 25 | 0.0020 |
| 34 | 78/1 | 0.0280 |
| 35 | 78/2/1 | 0.0660 |
| 36 | 78/2/3 | 0.0580 |
| 37 | 78/3 | 0.0810 |
| 38 | 79/1 | 0.0580 |
| 39 | 87/2 | 0.2090 |
| 40 | 87/3 | 0.2090 |
| 41 | 87/4 | 0.0160 |
| 42 | 88/1 | 0.0040 |
| 43 | 88/3 | 0.0130 |
| 44 | 88/4 | 0.1540 |
| 45 | 29 | 0.0320 |
| 46 | 47 | 0.1570 |
| 47 | 48 | 0.0010 |
| 48 | 28/2 | 0.0030 |
| 49 | 80/1 | 0.0490 |
| 50 | 95 | 0.0600 |
| | **योग** | **2.7350** |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है– बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, रीवा शाखा नहर की जरमोहरा माइनर एवं भटिगवां माइनर नहर के निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू–अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है।

मैहर, दिनांक 20 सितम्बर 2024

क्र.–148–भू–अर्जन–24

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू–अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.–एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:–

**अनुसूची**

(1) भूमि का वर्णनः– (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला –**मैहर**

(ख) तहसील–**अमरपाटन**

(ग) नगर /ग्राम –**ककरा**

(घ) क्षेत्रफल– **6.220 हे0**

| क्र. | सर्वे नं. | प्रस्तावित रकबा |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 414/1 | 0.0160 |
| 2 | 414/2 | 0.0180 |
| 3 | 414/3 | 0.0900 |
| 4 | 413/1 | 0.1750 |
| 5 | 459/1 | 0.1260 |
| 6 | 459/2 | 0.0620 |
| 7 | 458/2 | 0.1260 |
| 8 | 457/2 | 0.0570 |
| 9 | 457/4 | 0.0580 |
| 10 | 456 | 0.1600 |
| 11 | 462/1 | 0.0410 |
| 12 | 462/2 | 0.0110 |
| 13 | 463/1 | 0.1450 |
| 14 | 464 | 0.0800 |
| 15 | 470 | 0.0010 |
| 16 | 473/1 | 0.0200 |
| 17 | 473/2 | 0.0610 |
| 18 | 472/1/1/1 | 0.0540 |
| 19 | 472/1/1/2 | 0.0460 |
| 20 | 472/1/2 | 0.0700 |
| 21 | 472/2 | 0.0380 |
| 22 | 471/1 | 0.0040 |
| 23 | 471/2 | 0.0410 |
| 24 | 477/1/1 | 0.0220 |
| 25 | 477/1/2 | 0.0350 |
| 26 | 477/1/3 | 0.0420 |
| 27 | 477/1/4 | 0.1080 |
| 28 | 477/2 | 0.0860 |
| 29 | 476/3 | 0.0160 |
| 30 | 485 | 0.0890 |
| 31 | 496 | 0.0920 |

| | | |
|---|---|---|
| 32 | 487 | 0.0570 |
| 33 | 486 | 0.0330 |
| 34 | 489/1 | 0.0190 |
| 35 | 561 | 0.0460 |
| 36 | 560/2 | 0.0330 |
| 37 | 567/1 | 0.0120 |
| 38 | 567/2 | |
| 39 | 568/1 | 0.0100 |
| 40 | 568/2 | |
| 41 | 569/1 | 0.0380 |
| 42 | 569/2 | 0.0890 |
| 43 | 570 | 0.0780 |
| 44 | 571/1 | 0.0260 |
| 45 | 571/2 | |
| 46 | 555 | 0.0420 |
| 47 | 557 | 0.0020 |
| 48 | 556 | 0.0300 |
| 49 | 572 | 0.0050 |
| 50 | 553 | 0.0180 |
| 51 | 554/1 | 0.0030 |
| 52 | 554/2 | 0.0420 |
| 53 | 554/3 | 0.0490 |
| 54 | 551 | 0.0370 |
| 55 | 550/1 | 0.0830 |
| 56 | 550/2 | |
| 57 | 549/1 | 0.0470 |
| 58 | 549/2 | 0.0110 |
| 59 | 526/3 | 0.0480 |
| 60 | 547 | 0.1700 |
| 61 | 546/1/1 | 0.1430 |
| 62 | 546/1/2 | |
| 63 | 546/2 | |
| 64 | 545/1 | 0.1290 |
| 65 | 545/2 | |
| 66 | 545/3 | |
| 67 | 583/1 | 0.0760 |
| 68 | 5832 | |
| 69 | 5833 | |
| 70 | 584/2 | 0.0100 |
| 71 | 584/3 | 0.0310 |
| 72 | 1005/1 | 0.0400 |
| 73 | 1004 | 0.1320 |
| 74 | 1001/1 | 0.0350 |
| 75 | 1001/2 | 0.0300 |
| 76 | 1000/1 | 0.0090 |
| 77 | 1000/2 | 0.0810 |
| 78 | 1002/1 | 0.0140 |
| 79 | 1002/2 | |

| | | |
|---|---|---|
| 80 | 1002/3 | |
| 81 | 998/3 | 0.0300 |
| 82 | 997/2 | 0.0650 |
| 83 | 996/1 | 0.0630 |
| 84 | 996/2 | |
| 85 | 996/2/3 | |
| 86 | 996/3/1 | |
| 87 | 996/3/2 | |
| 88 | 982/2 | 0.0740 |
| 89 | 980/1 | 0.0120 |
| 90 | 983 | 0.0380 |
| 91 | 1125 | 0.0650 |
| 92 | 1128 | 0.0730 |
| 93 | 1130/1/1 | 0.0100 |
| 94 | 1130/1/2 | |
| 95 | 1130/2 | |
| 96 | 1127 | 0.0010 |
| 97 | 1133 | 0.0920 |
| 98 | 1136/1 | 0.0630 |
| 99 | 1136/2/2 | 0.0040 |
| 100 | 1137/2 | 0.0960 |
| 101 | 1157/1/1 | 0.0870 |
| 102 | 1157/1/2 | |
| 103 | 1157/1/3 | |
| 104 | 1157/2 | 0.0840 |
| 105 | 1157/3/1 | 0.0250 |
| 106 | 1157/3/2 | 0.0260 |
| 107 | 1157/4 | 0.0330 |
| 108 | 1158/1 | 0.0610 |
| 109 | 1158/2 | 0.0100 |
| 110 | 1159 | 0.0520 |
| 111 | 1160/2 | 0.1310 |
| 112 | 1161/2 | 0.0060 |
| 113 | 1175/1 | 0.0620 |
| 114 | 1175/2 | |
| 115 | 1176/1/1 | 0.0040 |
| 116 | 1177/1/1 | 0.0050 |
| 117 | 1178/1 | 0.1150 |
| 118 | 1178/2 | 0.0930 |
| 119 | 1180/1 | 0.0020 |
| 120 | 1180/2 | 0.0440 |
| 121 | 1180/3 | 0.0120 |
| 122 | 1179/1 | 0.0120 |
| 123 | 1179/2 | 0.0120 |
| 124 | 1179/3 | 0.0120 |
| 125 | 1179/4 | 0.0130 |
| 126 | 920 | 0.0200 |
| 127 | 925/5 | 0.0660 |
| 128 | 924/5 | 0.0090 |
| 129 | 922 | 0.0250 |
| 130 | 923/1 | 0.1180 |
| 131 | 923/2 | 0.0180 |
| 132 | 915 | 0.1930 |
| 133 | 914 | 0.0960 |
| 134 | 913 | 0.0660 |
| 135 | 911 | 0.0890 |
| 136 | 899/2 | 0.0120 |
| 137 | 910 | 0.0610 |
| 138 | 900/1 | 0.1120 |
| 139 | 900/2 | |
| 140 | 900/3 | |
| 141 | 900/4 | |
| | **योग** | **6.220** |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है– बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, रीवा शाखा नहर अंतर्गत बजैनाथ उपशाखा की मौहट माइनर नहर निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू–अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.–149–भू–अर्जन–24

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू–अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.–एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:–

**अनुसूची**

(1) भूमि का वर्णनः– (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला –**मैहर**

(ख) तहसील–**अमरपाटन**

(ग) नगर /ग्राम –**भीष्मपुर**

(घ) क्षेत्रफल– **3.594हे0**

| क्र. | सर्वे नं. | प्रस्तावित रकवा |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 705/1 | 0.0290 |
| 2 | 705/2/2 | 0.0290 |
| 3 | 705/3 | 0.0320 |
| 4 | 705/2/1 | |
| 5 | 705/4 | |
| 6 | 700 | 0.0310 |
| 7 | 701/1 | 0.0160 |
| 8 | 701/5 | 0.0550 |
| 9 | 699 | 0.0070 |
| 10 | 696 | 0.0470 |
| 11 | 695 | 0.0090 |
| 12 | 692/1 | 0.0630 |
| 13 | 693/2 | 0.0500 |
| 14 | 690/1/3/2 | 0.0120 |
| 15 | 690/2 | 0.0530 |
| 16 | 684/1/2 | 0.0580 |
| 17 | 684/1/3 | 0.0070 |
| 18 | 684/2/1 | 0.0170 |
| 19 | 684/2/2 | 0.2110 |
| 20 | 685/1/1 | 0.0110 |
| 21 | 685/1/2 | 0.0110 |
| 22 | 686/2 | 0.1040 |
| 23 | 686/3 | |
| 24 | 624 | 0.1050 |
| 25 | 625/1 | 0.0140 |
| 26 | 626/2 | 0.0970 |
| 27 | 693/1 | 0.0080 |
| 28 | 627/1 | 0.0940 |
| 29 | 640/1/1/1 | 0.0210 |

| | | |
|---|---|---|
| 30 | 640/2 | 0.0670 |
| 31 | 664/1 | 0.0690 |
| 32 | 664/2 | 0.0970 |
| 33 | 663/1 | 0.0320 |
| 34 | 645 | 0.0760 |
| 35 | 646/1 | 0.0790 |
| 36 | 650 | 0.0970 |
| 37 | 649/1/2 | 0.0690 |
| 38 | 649/2 | 0.0700 |
| 39 | 407 | 0.0370 |
| 40 | 406 | 0.2190 |
| 41 | 410 | 0.2180 |
| 42 | 411 | 0.0790 |
| 43 | 412 | 0.1890 |
| 44 | 641/2 | 0.0130 |
| 45 | 405/1 | 0.0130 |
| 46 | 405/2 | 0.0120 |
| 47 | 275/1 | 0.0840 |
| 48 | 277 | 0.0500 |
| 49 | 278 | 0.0420 |
| 50 | 279 | 0.0300 |
| 51 | 280 | 0.0300 |
| 52 | 282 | 0.0430 |
| 53 | 281 | 0.0010 |
| 54 | 290 | 0.0060 |
| 55 | 291 | 0.0040 |
| 56 | 293/2 | 0.0490 |
| 57 | 295 | 0.0010 |
| 58 | 294 | 0.0510 |
| 59 | 300 | 0.0470 |
| 60 | 325 | 0.0180 |
| 61 | 347/1 | 0.0120 |
| 62 | 347/2 | 0.0070 |
| 63 | 347/3 | 0.1520 |
| 64 | 335/1 | 0.0100 |
| 65 | 346 | 0.0060 |
| 66 | 336/1 | 0.0810 |
| 67 | 336/2 | 0.0820 |
| 68 | 337 | 0.0110 |
| 69 | 338 | 0.0280 |
| 70 | 331 | 0.0710 |
| 71 | 339 | 0.0510 |
| | योग | **3.5940** |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है– बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, रीवा शाखा नहर अंतर्गत अजवानी वितरिका नहर के किंगरा वीरदत्त माइनर के निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू–अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.–150–भू–अर्जन–24

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू–अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.–एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:–

**अनुसूची**

(1) भूमि का वर्णनः– (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला –**मैहर**

(ख) तहसील–**अमरपाटन**

(ग) नगर /ग्राम –**ककरा**

(घ) क्षेत्रफल–**0.843हे0**

| क्र. | सर्वे नं. | प्रस्तावित रकवा |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 983 | 0.089 |
| 2 | 985 | 0.041 |
| 3 | 1125 | 0.002 |
| 4 | 989 | 0.068 |
| 5 | 991 | 0.181 |
| 6 | 992 | 0.040 |
| 7 | 1111 | 0.154 |
| 8 | 1107/1 | 0.031 |
| 9 | 1107/2/1 | 0.083 |
| 10 | 1107/2/2 | 0.075 |
| 11 | 1107/3 | 0.071 |
| 12 | 1102/1/1 | 0.008 |
| | योग | **0.843** |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है– बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, रीवा शाखा नहर अंतर्गत बैजनाथ उपशाखा के रैकवार सब माइनर के निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू–अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.–151–भू–अर्जन–24

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू–अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.–एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:–

**अनुसूची**

(1) भूमि का वर्णनः– (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला –**मैहर**

(ख) तहसील–**अमरपाटन**

(ग) नगर /ग्राम –**किरहाई**

(घ) क्षेत्रफल– **1.174 हे0**

| क्र. | सर्वे नं. | प्रस्तावित रकवा |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 28 | 0.305 |
| 2 | 25 | 0.086 |
| 3 | 26 | 0.014 |
| 4 | 23 | 0.036 |
| 5 | 22 | 0.035 |
| 6 | 14 | 0.021 |
| 7 | 13 | 0.009 |
| 8 | 2 | 0.244 |
| 9 | 3 | 0.058 |
| 10 | 1 | 0.089 |
| 11 | 4/1/1 | 0.049 |
| 12 | 4/1/2 | 0.008 |
| 13 | 5/1/1/1 | 0.160 |
| 14 | 5/1/1/4 | 0.025 |
| 15 | 5/1/2 | 0.035 |
| | **योग** | **1.174** |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है– बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, रीवा शाखा नहर अंतर्गत अजवानी वितरिका नहर निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू–अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.–152–भू–अर्जन–24

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू–अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.–एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:–

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णनः– (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला –**मैहर**

(ख) तहसील–**अमरपाटन**

(ग) नगर /ग्राम –**ओवरा**

(घ) क्षेत्रफल– **3.7090हे0**

| क्र. | सर्वे नं. | प्रस्तावित रकबा |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 479 | 0.0530 |
| 2 | 442/1 | 0.0080 |
| 3 | 442/2 | 0.0070 |
| 4 | 442/3 | 0.0080 |
| 5 | 443/1 | 0.0510 |
| 6 | 443/2 | 0.0030 |
| 7 | 477/4 | 0.1130 |
| 8 | 477/1/1 | 0.0430 |
| 9 | 477/1/2 | 0.0430 |
| 10 | 477/2 | 0.0840 |
| 11 | 466 | 0.0110 |
| 12 | 510 | 0.0350 |
| 13 | 509 | 0.0530 |
| 14 | 508/1 | 0.0090 |
| 15 | 508/2/1 | 0.0010 |
| 16 | 508/2/2 | |
| 17 | 508/2/3 | |
| 18 | 508/3/1/1 | 0.0300 |
| 19 | 508/3/1/2 | 0.0300 |
| 20 | 508/3/2 | 0.0170 |
| 21 | 507/1 | 0.0020 |
| 22 | 507/2/1 | 0.0010 |
| 23 | 507/2/2 | 0.0010 |
| 24 | 507/2/3 | 0.0010 |
| 25 | 507/3/1 | 0.0020 |
| 26 | 507/3/2 | 0.0020 |
| 27 | 520/1 | 0.0300 |
| 28 | 520/2 | |
| 29 | 521/1 | 0.2000 |
| 30 | 521/2 | |
| 31 | 522/1 | 0.0100 |
| 32 | 522/2 | |
| 33 | 345 | 0.1510 |

| | | |
|---|---|---|
| 34 | 346 | 0.0070 |
| 35 | 339 | 0.0080 |
| 36 | 336/1 | 0.0030 |
| 37 | 336/2 | 0.0040 |
| 38 | 337/1 | 0.0230 |
| 39 | 337/2 | 0.0230 |
| 40 | 335 | 0.0410 |
| 41 | 333 | 0.0520 |
| 42 | 330 | 0.0090 |
| 43 | 328/1 | 0.1410 |
| 44 | 328/2/1 | 0.0050 |
| 45 | 328/2/2 | |
| 46 | 328/2/3 | |
| 47 | 327/1 | 0.0020 |
| 48 | 327/2 | 0.0020 |
| 49 | 325/1 | 0.0100 |
| 50 | 325/2 | |
| 51 | 325/3 | |
| 52 | 326/1 | 0.0110 |
| 53 | 326/2 | |
| 54 | 326/3 | |
| 55 | 281/1/1 | 0.0710 |
| 56 | 281/1/2 | 0.0250 |
| 57 | 281/2 | 0.0100 |
| 58 | 282/1 | 0.0140 |
| 59 | 308/1 | 0.0800 |
| 60 | 308/2 | |
| 61 | 308/3 | |
| 62 | 307/1 | 0.0140 |
| 63 | 291 | 0.0560 |
| 64 | 292 | 0.0900 |
| 65 | 293 | 0.0100 |
| 66 | 306 | 0.0620 |
| 67 | 305 | 0.0400 |
| 68 | 299/1 | 0.0030 |
| 69 | 299/2 | |
| 70 | 304/1 | 0.0180 |
| 71 | 304/2 | 0.0180 |
| 72 | 302/1/1/1 | 0.0280 |
| 73 | 302/1/1/2 | 0.0450 |
| 74 | 302/1/2 | 0.0440 |
| 75 | 302/2 | 0.0860 |
| 76 | 303/1 | 0.0015 |
| 77 | 303/2 | 0.0015 |
| 78 | 216 | 0.0120 |
| 79 | 217 | 0.0130 |
| 80 | 215 | 0.0780 |
| 81 | 99/1 | 0.0680 |
| 82 | 196 | 0.0900 |
| 83 | 195 | 0.0030 |
| 84 | 129 | 0.0100 |
| 85 | 127 | 0.0010 |
| 86 | 126 | 0.0040 |
| 87 | 130 | 0.1000 |

| | | |
|---|---|---|
| 88 | 134/1 | 0.0840 |
| 89 | 134/2 | |
| 90 | 134/3 | |
| 91 | 125/1 | 0.0020 |
| 92 | 135/1 | 0.0070 |
| 93 | 135/2 | |
| 94 | 135/3 | |
| 95 | 136/2 | 0.1380 |
| 96 | 137 | 0.0120 |
| 97 | 138/1/2 | 0.0620 |
| 98 | 120/1/2/2 | 0.0220 |
| 99 | 119/1/2 | 0.0380 |
| 100 | 139/1/1/2 | 0.0480 |
| 101 | 139/1/2 | |
| 102 | 139/2 | |
| 103 | 140 | 0.0390 |
| 104 | 141 | 0.0040 |
| 105 | 42 | 0.0690 |
| 106 | 118/1/2 | 0.0130 |
| 107 | 43/1 | 0.1330 |
| 108 | 44/1 | 0.0060 |
| 109 | 46 | 0.0340 |
| 110 | 45 | 0.0940 |
| 111 | 15 | 0.0940 |
| 112 | 14 | 0.0140 |
| 113 | 13/1 | 0.0510 |
| 114 | 13/2 | 0.0510 |
| 115 | 12/1 | 0.0150 |
| 116 | 12/2 | 0.0140 |
| 117 | 6/1 | 0.1240 |
| 118 | 6/2 | |
| 119 | 5 | 0.1050 |
| | **योग** | **3.7090** |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है– बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, रीवा शाखा नहर अंतर्गत अजवानी वितरिका की तिघरा माइनर नहर निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू–अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.–153–भू–अर्जन–24

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू–अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.–एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:–

**अनुसूची**

(1) भूमि का वर्णनः– (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला –**मैहर**

(ख) तहसील–**अमरपाटन**

(ग) नगर /ग्राम –**इटमा कोठार**

(घ) क्षेत्रफल– **4.890हे0**

| क्र. | सर्वे नं. | प्रस्तावित रकवा |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 14 | 0.200 |
| 2 | 15/1 | 0.005 |
| 3 | 16/1 | 0.099 |
| 4 | 17/1 | 0.108 |
| 5 | 17/2 | 0.011 |
| 6 | 18/1 | 0.002 |
| 7 | 18/2 | 0.003 |
| 8 | 29/1/1 | 0.250 |
| 9 | 29/1/2 | 0.032 |
| 10 | 29/2 | 0.018 |
| 11 | 31/1 | 0.029 |
| 12 | 31/2 | 0.001 |
| 13 | 31/907 | 0.192 |
| 14 | 43 | 0.145 |
| 15 | 44 | 0.043 |
| 16 | 45/1 | 0.072 |
| 17 | 45/2 | 0.058 |
| 18 | 54/2 | 0.005 |
| 19 | 49/1 | 0.016 |
| 20 | 49/2 | 0.054 |
| 21 | 47/1 | 0.023 |
| 22 | 47/2 | 0.016 |
| 23 | 50 | 0.008 |
| 24 | 152/1 | 0.003 |
| 25 | 134 | 0.131 |
| 26 | 132 | 0.001 |
| 27 | 133 | 0.092 |
| 28 | 135 | 0.048 |
| 29 | 136/1 | 0.040 |
| 30 | 136/2 | 0.128 |

| | | |
|---|---|---|
| 31 | 128/1 | 0.007 |
| 32 | 128/2 | 0.077 |
| 33 | 127 | 0.160 |
| 34 | 126 | 0.112 |
| 35 | 125 | 0.122 |
| 36 | 124 | 0.043 |
| 37 | 119 | 0.295 |
| 38 | 217 | 0.069 |
| 39 | 218 | 0.083 |
| 40 | 240 | 0.408 |
| 41 | 238/1 | 0.124 |
| 42 | 238/2 | 0.064 |
| 43 | 238/3 | 0.008 |
| 44 | 247 | 0.105 |
| 45 | 248/1 | 0.277 |
| 46 | 248/2 | 0.075 |
| 47 | 246 | 0.012 |
| 48 | 251 | 0.199 |
| 49 | 250 | 0.282 |
| 50 | 252/2/2 | 0.003 |
| 51 | 301 | 0.219 |
| 52 | 302 | 0.033 |
| 53 | 296 | 0.180 |
| 54 | 295 | 0.013 |
| 55 | 293 | 0.087 |
| | **योग** | **4.890** |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है– बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, रीवा शाखा नहर अंतर्गत अजवानी वितरिका नहर निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू–अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.–157–भू–अर्जन–24

मैहर, दिनांक 30 सितम्बर 2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू–अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.–एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:–

**अनुसूची**

(1) भूमि का वर्णन:– (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला –**मैहर**

(ख) तहसील– **मैहर**

(ग) नगर /ग्राम – **करसरा**

(घ) क्षेत्रफल– **2.8470.हे0**

| क0 | खसरा नं. | अर्जित रकवा |
|---|---|---|
| 1 | 1/1/1/1 | 0.0300 |
| 2 | 1/2/1 | 0.0300 |
| 3 | 2/1/1 | 0.1580 |
| 4 | 2/1/2 | 0.0730 |
| 5 | 2/2/1/1/1 | 0.0670 |
| 6 | 2/2/1/1/2 | 0.0170 |
| 7 | 2/2/1/2 | 0.1580 |
| 8 | 2/2/2/3 | 0.0260 |
| 9 | 188 | 0.0020 |
| 10 | 532 | 0.0300 |
| 11 | 534 | 0.0060 |
| 12 | 543 | 0.1350 |
| 13 | 541 | 0.0010 |
| 14 | 539 | 0.0490 |
| 15 | 315 | 0.0020 |
| 16 | 331 | 0.0040 |
| 17 | 329 | 0.0020 |
| 18 | 189 | 0.0120 |
| 19 | 190 | 0.0320 |
| 20 | 242 | 0.0250 |
| 21 | 243/2 | 0.6860 |
| 22 | 243/1 | 0.1340 |
| 23 | 289 | 0.0040 |
| 24 | 290 | 0.0450 |
| 25 | 291 | 0.0040 |
| 26 | 297 | 0.0140 |
| 27 | 298 | 0.0040 |
| 28 | 299 | 0.0020 |
| 29 | 326 | 0.0300 |
| 30 | 327 | 0.0330 |
| 31 | 328 | 0.0580 |
| 32 | 241 | 0.0450 |
| 33 | 154 | 0.0030 |
| 34 | 200 | 0.0090 |
| 35 | 201 | 0.0060 |
| 36 | 202 | 0.0190 |

| | | |
|---|---|---|
| 37 | 203 | 0.0020 |
| 38 | 204 | 0.0160 |
| 39 | 205 | 0.0010 |
| 40 | 206 | 0.0160 |
| 41 | 207 | 0.0160 |
| 42 | 208/1 | 0.0660 |
| 43 | 208/2 | 0.0840 |
| 44 | 208/4 | 0.0320 |
| 45 | 211 | 0.0160 |
| 46 | 212 | 0.0310 |
| 47 | 214/2 | 0.0030 |
| 48 | 239 | 0.0310 |
| 49 | 415 | 0.0470 |
| 50 | 416 | 0.0150 |
| 51 | 417/1 | 0.0220 |
| 52 | 417/2 | 0.0080 |
| 53 | 417/3 | 0.0880 |
| 54 | 421/1 | 0.0500 |
| 55 | 446/1 | 0.0120 |
| 56 | 446/2 | 0.0200 |
| 57 | 447 | 0.0310 |
| 58 | 448/1 | 0.0120 |
| 59 | 452 | 0.1420 |
| 60 | 523 | 0.0250 |
| 61 | 524 | 0.0640 |
| 62 | 525 | 0.0060 |
| 63 | 527 | 0.0120 |
| 64 | 528 | 0.0960 |
| 65 | 529 | 0.0120 |
| 66 | 530 | 0.0310 |
| 67 | 536 | 0.0830 |
| 68 | 295 | 0.0210 |
| 69 | 240 | 0.0020 |
| 70 | 296 | 0.0200 |
| | **योग** | **2.8470** |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है– बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, रीवा शाखा नहर के अतंरर्गत जरमोहरा वितरिका की मगरौरा सब माइनर नहर के निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू–अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.–158–भू–अर्जन–24

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू–अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.–एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:–

**अनुसूची**

(1) भूमि का वर्णनः– (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला –**मैहर**

(ख) तहसील–**अमरपाटन**

(ग) नगर /ग्राम –**मगराज**

(घ) क्षेत्रफल– **1.715 हे0**

| क्र. | सर्वे नं. | प्रस्तावित रकवा |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 712 | 0.042 |
| 2 | 711/1/1/1 | 0.028 |
| 3 | 715 | 0.168 |
| 4 | 719/1/1/1 | 0.003 |
| 5 | 716/1 | 0.026 |
| 6 | 716/2 | 0.028 |
| 7 | 716/3 | 0.041 |
| 8 | 716/4/1 | 0.004 |
| 9 | 716/4/2 | 0.006 |
| 10 | 717/1 | 0.090 |
| 11 | 717/2 | 0.013 |
| 12 | 718 | 0.016 |
| 13 | 754 | 0.101 |
| 14 | 753/1 | 0.022 |
| 15 | 753/2 | 0.067 |
| 16 | 752 | 0.058 |
| 17 | 751/2 | 0.005 |
| 18 | 750 | 0.098 |
| 19 | 757/2 | 0.005 |
| 20 | 748 | 0.069 |
| 21 | 749/1 | 0.008 |
| 22 | 749/2 | 0.014 |
| 23 | 749/3 | 0.032 |
| 24 | 733/1 | 0.040 |
| 25 | 733/2/2 | 0.070 |
| 26 | 733/2/1 | 0.155 |
| 27 | 732 | 0.075 |
| 28 | 645/1 | 0.427 |
| 29 | 735 | 0.004 |
| | **योग** | **1.715** |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है– बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, रीवा शाखा नहर अंतर्गत अजवानी वितरिका नहर निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू–अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.–159–भू–अर्जन–24

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू–अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.–एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:–

**अनुसूची**

(1) भूमि का वर्णनः– (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला –**मैहर**

(ख) तहसील–**अमरपाटन**

(ग) नगर /ग्राम –**परसवाही**

(घ) क्षेत्रफल– **2.990 हे0**

| क्र. | सर्वे नं. | प्रस्तावित रकबा |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 409/3 | 0.011 |
| 2 | 456/1 | 0.070 |
| 3 | 456/2 | 0.024 |
| 4 | 456/3 | 0.070 |
| 5 | 455 | 0.021 |
| 6 | 461/1 | 0.166 |
| 7 | 461/2/2 | 0.070 |
| 8 | 463 | 0.079 |
| 9 | 492/1 | 0.058 |
| 10 | 492/2 | 0.030 |
| 11 | 492/3 | 0.047 |
| 12 | 491/1 | 0.020 |
| 13 | 491/2/1 | 0.097 |
| 14 | 490 | 0.030 |
| 15 | 580/1/1 | 0.040 |
| 16 | 580/1/2 | 0.066 |
| 17 | 580/1/3 | 0.056 |
| 18 | 580/1/4 | 0.014 |
| 19 | 580/2 | 0.021 |
| 20 | 580/4 | 0.088 |
| 21 | 581/2 | 0.007 |
| 22 | 581/3 | 0.007 |
| 23 | 583/3 | 0.005 |
| 24 | 462/1 | 0.002 |
| 25 | 462/2 | 0.144 |
| 26 | 584/1/1 | 0.045 |
| 27 | 584/1/2 | 0.055 |
| 28 | 584/1/3 | 0.040 |
| 29 | 584/1/4 | 0.050 |

| | | |
|---|---|---|
| 30 | 791 | 0.299 |
| 31 | 803 | 0.012 |
| 32 | 781/1 | 0.166 |
| 33 | 781/2 | 0.128 |
| 34 | 781/894 | 0.062 |
| 35 | 781/893/4 | 0.063 |
| 36 | 781/892/2 | 0.034 |
| 37 | 775/4 | 0.052 |
| 38 | 774 | 0.073 |
| 39 | 773 | 0.116 |
| 40 | 771 | 0.159 |
| 41 | 852 | 0.010 |
| 42 | 853/1 | 0.183 |
| 43 | 853/2 | 0.165 |
| 44 | 853/3/2 | 0.001 |
| 45 | 854/1 | 0.012 |
| 46 | 585 | 0.022 |
| | **योग** | **2.990** |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है– बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, रीवा शाखा नहर अंतर्गत बैजनाथ उपशाखा की वीरदत्त माइनर नहर निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू–अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.–160–भू–अर्जन–24

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू–अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.–एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:–

**अनुसूची**

(1) भूमि का वर्णनः– (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला –**मैहर**

(ख) तहसील–**अमरपाटन**

(ग) नगर /ग्राम –**नौगवॉ**

(घ) **क्षेत्रफल– 2.594 हे0**

| क्र. | सर्वे नं. | प्रस्तावित रकवा |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 577/954 | 0.060 |
| 2 | 599 | 0.108 |
| 3 | 598/1 | 0.048 |
| 4 | 598/2 | 0.040 |
| 5 | 603/3 | 0.004 |
| 6 | 603/4 | 0.024 |
| 7 | 603/5 | 0.024 |
| 8 | 597/2 | 0.029 |
| 9 | 604 | 0.118 |
| 10 | 620/1 | 0.159 |
| 11 | 627/943/2 | 0.028 |
| 12 | 627 | 0.052 |
| 13 | 626 | 0.066 |
| 14 | 628 | 0.104 |
| 15 | 596/2 | 0.017 |
| 16 | 629/1 | 0.537 |
| 17 | 800/1 | 0.010 |
| 18 | 800/2 | 0.144 |
| 19 | 799/1 | 0.053 |
| 20 | 799/2 | 0.040 |
| 21 | 799/3 | 0.030 |
| 22 | 794/1/1/1 | 0.001 |
| 23 | 793/1/1/1/1/1 | 0.164 |
| 24 | 793/1/1/1/3 | 0.164 |
| 25 | 793/1/2/1 | 0.016 |
| 26 | 793/2 | 0.180 |
| 27 | 793/5 | 0.180 |
| 28 | 787/1 | 0.194 |
| | **योग** | **2.594** |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है– बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, रीवा शाखा नहर अंतर्गत अजवानी वितरिका नहर निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू–अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.–161–भू–अर्जन–24

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू–अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.–एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:–

**अनुसूची**

(1) भूमि का वर्णन:– (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला –**मैहर**

(ख) तहसील–**अमरपाटन**

(ग) नगर /ग्राम –**चोरखंड़ी**

(घ) क्षेत्रफल– **2.692 हे0**

| क्र. | सर्वे नं. | प्रस्तावित रकवा |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 757/1/1/1 | 0.133 |
| 2 | 757/1/2/1 | 0.026 |
| 3 | 756/1 | 0.011 |
| 4 | 725/1 | 0.156 |
| 5 | 726/1 | 0.084 |
| 6 | 742/1 | 0.020 |
| 7 | 742/2 | 0.039 |
| 8 | 741 | 0.047 |
| 9 | 740/2 | 0.019 |
| 10 | 729 | 0.043 |
| 11 | 730/1 | 0.031 |
| 12 | 730/2 | 0.030 |
| 13 | 731 | 0.046 |
| 14 | 733 | 0.051 |
| 15 | 734 | 0.065 |
| 16 | 664/5 | 0.064 |
| 17 | 664/6 | 0.066 |
| 18 | 661/1 | 0.008 |
| 19 | 661/2/1 | |
| 20 | 661/2/2 | |
| 21 | 661/3 | |
| 22 | 661/4 | |
| 23 | 661/5 | |
| 24 | 659/1 | 0.017 |
| 25 | 659/2 | 0.123 |
| 26 | 658/2 | 0.011 |
| 27 | 622/1 | 0.036 |
| 28 | 622/2 | 0.019 |
| 29 | 622/3 | 0.022 |

| | | |
|---|---|---|
| 30 | 622/4 | 0.012 |
| 31 | 622/5 | 0.012 |
| 32 | 622/6 | 0.012 |
| 33 | 622/7 | 0.013 |
| 34 | 625/3 | 0.011 |
| 35 | 626/2 | 0.095 |
| 36 | 626/3 | 0.114 |
| 37 | 626/4 | 0.093 |
| 38 | 626/5 | 0.096 |
| 39 | 626/6 | 0.070 |
| 40 | 626/7 | 0.096 |
| 41 | 626/8 | 0.021 |
| 42 | 627/1 | 0.020 |
| 43 | 609/2/1 | 0.008 |
| 44 | 608/1/1/1/1 | 0.194 |
| 45 | 608/1/1/1/2 | |
| 46 | 608/1/2 | |
| 47 | 608/2 | 0.045 |
| 48 | 607/1/1/1/1 | 0.015 |
| 49 | 607/1/1/1/2 | |
| 50 | 607/1/2 | |
| 51 | 584/1 | 0.009 |
| 52 | 586/1 | 0.081 |
| 53 | 586/2 | 0.092 |
| 54 | 585/1 | 0.019 |
| 55 | 587/2 | 0.016 |
| 56 | 588/4/1/2 | 0.030 |
| 57 | 588/4/2 | 0.090 |
| 58 | 588/5 | 0.068 |
| 59 | 589/4/1/2 | 0.020 |
| 60 | 589/4/2 | 0.010 |
| 61 | 596 | 0.154 |
| 62 | 593 | 0.009 |
| | **योग** | **2.692** |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है– बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, रीवा शाखा नहर अंतर्गत अजवानी वितरिका नहर निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू–अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.–162–भू–अर्जन–24

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू–अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.–एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:–

**अनुसूची**

(1) भूमि का वर्णनः– (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला –**मैहर**

(ख) तहसील–**अमरपाटन**

(ग) नगर /ग्राम –**मझगवां**

(घ) क्षेत्रफल– **4.252** हे0

| क्र. | सर्वे नं. | प्रस्तावित रकवा |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 190 | 0.003 |
| 2 | 191 | 0.006 |
| 3 | 195/1 | 0.164 |
| 4 | 195/2 | 0.01 |
| 5 | 196/1065 | 0.210 |
| 6 | 196 | 0.089 |
| 7 | 198 | 0.010 |
| 8 | 199/1 | 0.078 |
| 9 | 199/2 | |
| 10 | 200/1 | 0.160 |
| 11 | 200/2 | |
| 12 | 200/3/1 | |
| 13 | 200/3/2 | |
| 14 | 200/4 | |
| 15 | 201/1 | 0.011 |
| 16 | 201/2 | |
| 17 | 201/3/1 | |
| 18 | 201/3/2 | |
| 19 | 201/4 | |
| 20 | 206 | 0.059 |
| 21 | 205 | 0.109 |
| 22 | 281 | 0.047 |
| 23 | 280 | 0.030 |
| 24 | 279 | 0.008 |
| 25 | 283 | 0.153 |
| 26 | 272/1 | 0.060 |
| 27 | 272/2 | 0.005 |
| 28 | 271/1 | 0.022 |
| 29 | 271/2 | 0.033 |

| | | |
|---|---|---|
| 30 | 267 | 0.071 |
| 31 | 266 | 0.111 |
| 32 | 263 | 0.162 |
| 33 | 294/1 | 0.023 |
| 34 | 294/2 | 0.002 |
| 35 | 260 | 0.191 |
| 36 | 259/3 | 0.020 |
| 37 | 255/1 | 0.100 |
| 38 | 255/2 | 0.046 |
| 39 | 254/2 | 0.191 |
| 40 | 899 | 0.051 |
| 41 | 310/1 | 0.127 |
| 42 | 892/4/1 | 0.028 |
| 43 | 890/2 | 0.128 |
| 44 | 889/2 | 0.005 |
| 45 | 312 | 0.131 |
| 46 | 888 | 0.052 |
| 47 | 887 | 0.030 |
| 48 | 952/2 | 0.072 |
| 49 | 885/1 | 0.004 |
| 50 | 953 | 0.155 |
| 51 | 960 | 0.091 |
| 52 | 961 | 0.066 |
| 53 | 958/1/1 | 0.024 |
| 54 | 962/1 | 0.013 |
| 55 | 962/2 | |
| 56 | 964/2 | 0.238 |
| 57 | 965/2 | 0.007 |
| 58 | 963/1 | 0.010 |
| 59 | 963/2 | |
| 60 | 966/1 | 0.058 |
| 61 | 1002/1 | 0.011 |
| 62 | 1002/2 | 0.043 |
| 63 | 1003 | 0.129 |
| 64 | 752/2 | 0.002 |
| 65 | 752/3 | 0.020 |
| 66 | 1005/1 | 0.062 |
| 67 | 1005/2 | 0.024 |
| 68 | 1008/1/2 | 0.033 |
| 69 | 1008/2 | 0.034 |
| 70 | 1007/1/1 | 0.004 |
| 71 | 1007/1/2 | 0.006 |
| 72 | 1007/2 | 0.002 |
| 73 | 1009 | 0.016 |
| 74 | 746/1 | 0.009 |
| 75 | 746/2 | 0.035 |
| 76 | 1038/1/1 | 0.058 |
| 77 | 1038/1/2 | |
| 78 | 1038/2 | |

| | | |
|---|---|---|
| 79 | 1039/1 | 0.258 |
| 80 | 1039/2 | |
| 81 | 1035/1 | 0.003 |
| 82 | 1035/1/1 | |
| 83 | 1035/1/3 | |
| 84 | 1035/1/4 | |
| 85 | 1035/1/5 | |
| 86 | 1035/1/8 | |
| 87 | 1035/1/9 | |
| 88 | 1035/1/16 | |
| 89 | 1035/2 | |
| 90 | 1040/1 | 0.019 |
| 91 | 1040/1/1 | |
| 92 | 1040/1/3 | |
| 93 | 1040/1/4 | |
| 94 | 1040/1/5 | |
| 95 | 1040/1/6 | |
| 96 | 1040/1/9 | |
| 97 | 1040/1/12 | |
| 98 | 1040/1/16 | |
| 99 | 1040/1/27 | |
| 100 | 1040/2 | |
| 101 | 1010/2 | 0.010 |
| | **योग** | **4.252** |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है– बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, रीवा शाखा नहर अंतर्गत बैजनाथ उपशाखा की मझगवां माइनर नहर निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू–अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.–163–भू–अर्जन–24

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू–अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.–एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:–

**अनुसूची**

(1) भूमि का वर्णनः– (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला –**मैहर**

(ख) तहसील– **मैहर**

(ग) नगर /ग्राम – **करूआ**

(घ) क्षेत्रफल– 4.3980हे0

| क0 | खसरा नं. | अर्जित रकवा |
|---|---|---|
| 1 | 1134 | 0.0020 |
| 2 | 1136 | 0.0110 |
| 3 | 1147/2/1 | 0.1610 |
| 4 | 1155/1/2/1 | 0.0820 |
| 5 | 1155/1/2/2 | 0.0110 |
| 6 | 1155/2 | 0.2090 |
| 7 | 1156 | 0.0670 |
| 8 | 449 | 0.0010 |
| 9 | 437/1/2 | 0.1860 |
| 10 | 437/2 | 0.0050 |
| 11 | 1441 | 0.0720 |
| 12 | 1444 | 0.0110 |
| 13 | 830 | 0.0250 |
| 14 | 829 | 0.0370 |
| 15 | 835 | 0.0250 |
| 16 | 903/1 | 0.0480 |
| 17 | 904 | 0.0210 |
| 18 | 836 | 0.0220 |
| 19 | 837 | 0.0190 |
| 20 | 916 | 0.0370 |
| 21 | 915 | 0.0260 |
| 22 | 901 | 0.0310 |
| 23 | 900 | 0.0250 |
| 24 | 899 | 0.0260 |
| 25 | 884 | 0.0250 |
| 26 | 883 | 0.0090 |
| 27 | 880 | 0.0050 |
| 28 | 885 | 0.0460 |
| 29 | 886 | 0.0260 |
| 30 | 887 | 0.0110 |
| 31 | 878 | 0.0100 |

| | | |
|---|---|---|
| 32 | 877 | 0.0310 |
| 33 | 864 | 0.0040 |
| 34 | 438/2 | 0.0070 |
| 35 | 450 | 0.0680 |
| 36 | 451 | 0.1140 |
| 37 | 454/2 | 0.0140 |
| 38 | 484 | 0.0240 |
| 39 | 485 | 0.0260 |
| 40 | 486 | 0.0260 |
| 41 | 487/1 | 0.0350 |
| 42 | 487/2 | 0.0350 |
| 43 | 493/1 | 0.0200 |
| 44 | 493/2 | 0.0200 |
| 45 | 493/3 | 0.0200 |
| 46 | 496 | 0.0790 |
| 47 | 497 | 0.0010 |
| 48 | 609/1 | 0.0880 |
| 49 | 609/2/1 | 0.0270 |
| 50 | 609/2/2 | 0.0070 |
| 51 | 609/4 | 0.0650 |
| 52 | 636/1 | 0.1650 |
| 53 | 644/2 | 0.0230 |
| 54 | 645 | 0.1920 |
| 55 | 646/2 | 0.0200 |
| 56 | 647/1/1 | 0.1850 |
| 57 | 647/2/1 | 0.0870 |
| 58 | 647/2/2 | 0.0910 |
| 59 | 838 | 0.0040 |
| 60 | 839 | 0.0200 |
| 61 | 842 | 0.0130 |
| 62 | 845 | 0.0130 |
| 63 | 847 | 0.0110 |
| 64 | 855 | 0.0020 |
| 65 | 856 | 0.0020 |
| 66 | 857 | 0.0030 |
| 67 | 858/2 | 0.0040 |
| 68 | 1128/2/3 | 0.0910 |
| 69 | 1128/2/4 | 0.0240 |
| 70 | 1128/2/6 | 0.1230 |
| 71 | 1151/2 | 0.0720 |
| 72 | 1154/1 | 0.1480 |
| 73 | 1473 | 0.0260 |
| 74 | 1475/2 | 0.2510 |
| 75 | 1517 | 0.0020 |
| 76 | 1518 | 0.0010 |
| 77 | 1519 | 0.0150 |
| 78 | 1520 | 0.0510 |
| 79 | 1521 | 0.0070 |
| 80 | 1522 | 0.0580 |

/

| | | |
|---|---|---|
| 81 | 1525 | 0.0080 |
| 82 | 1524 | 0.0210 |
| 83 | 1446 | 0.0610 |
| 84 | 637 | 0.0700 |
| 85 | 1157/2/2 | 0.0110 |
| 86 | 1157/3/1 | 0.0630 |
| 87 | 1157/3/2/1 | 0.0350 |
| 88 | 1532 | 0.0130 |
| 89 | 1155/1/2/1 | 0.0820 |
| 90 | 1155/1/2/2 | 0.0110 |
| 91 | 1155/2 | 0.2090 |
| 92 | 449 | 0.0010 |
| 93 | 1443 | 0.0310 |
| 94 | 1437/1/1 | 0.0060 |
| 95 | 1439 | 0.0590 |
| 96 | 1438 | 0.0010 |
| 97 | 897 | 0.0010 |
| 98 | 861/2/2 | 0.0010 |
| 99 | 636/2/1 | 0.0070 |
| | योग | **4.3980** |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है– बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, रीवा शाखा नहर की अतंरर्गत जरमोहरा वितरिका की करूआ माइनर,मगरौरा सब माइनर एवं देवरा माइनर नहर के निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू–अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.–164–भू–अर्जन–24

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू–अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.–एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:–

**अनुसूची**

(1) भूमि का वर्णन:– (म.प्र. शासन/निजी खाता)
(क) जिला –**मैहर**
(ख) तहसील– **मैहर**
(ग) नगर /ग्राम – **जरमोहरा**
(घ) क्षेत्रफल– 2.1010.हे0

| क0 | खसरा नं. | अर्जित रकवा |
|---|---|---|
| 1 | 152 | 0.0100 |
| 2 | 146/1/1 | 0.0630 |
| 3 | 146/1/2 | 0.0300 |
| 4 | 146/3 | 0.0050 |
| 5 | 212 | 0.0380 |
| 6 | 71 | 0.0020 |
| 7 | 72 | 0.0450 |
| 8 | 73/2 | 0.0100 |
| 9 | 75/2 | 0.0320 |
| 10 | 101 | 0.0290 |
| 11 | 118 | 0.0020 |
| 12 | 119 | 0.0770 |
| 13 | 120 | 0.0970 |
| 14 | 121/1 | 0.0210 |
| 15 | 124 | 0.0720 |
| 16 | 144/2 | 0.0120 |
| 17 | 144/3 | 0.0120 |
| 18 | 144/4 | 0.0120 |
| 19 | 144/5 | 0.0120 |
| 20 | 145 | 0.0760 |
| 21 | 147 | 0.0740 |
| 22 | 150 | 0.3160 |
| 23 | 151/1 | 0.0670 |
| 24 | 151/2 | 0.1000 |
| 25 | 213 | 0.0480 |
| 26 | 214 | 0.1480 |
| 27 | 216 | 0.0090 |
| 28 | 222/2/2 | 0.0020 |
| 29 | 223 | 0.1290 |
| 30 | 254 | 0.0580 |
| 31 | 258/1/2 | 0.0980 |
| 32 | 258/2/1 | 0.0660 |
| 33 | 261/1/1 | 0.0650 |
| 34 | 261/1/2 | 0.0050 |
| 35 | 261/2/1 | 0.0350 |
| 36 | 261/2/2 | 0.0350 |
| 37 | 69/1 | 0.0380 |
| 38 | 148/1 | 0.0380 |
| 39 | 148/2 | 0.0100 |
| 40 | 123 | 0.0320 |
| 41 | 255 | 0.0710 |
| | योग | **2.1010** |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है– बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, रीवा शाखा नहर की जरमोहरा वितरिका माइनर नहर के निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू–अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.–165–भू–अर्जन–24

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू–अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.–एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:–

**अनुसूची**

(1) भूमि का वर्णनः– (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला –**मैहर**

(ख) तहसील– **मैहर**

(ग) नगर /ग्राम – **नरौरा**

(घ) क्षेत्रफल– 3.5990हे0

| क0 | खसरा नं. | अर्जित रकवा |
|---|---|---|
| 1 | 109 | 0.0140 |
| 2 | 47/1/1/1/1/1/1/1/1 | 0.0420 |
| 3 | 108/1 | 0.0020 |
| 4 | 333/1/2 | 0.0010 |
| 5 | 332 | 0.0010 |
| 6 | 337 | 0.0020 |
| 7 | 163 | 0.0020 |
| 8 | 164/3 | 0.1680 |
| 9 | 165/3 | 0.0080 |
| 10 | 166/1 | 0.0080 |
| 11 | 166/3/1 | 0.0920 |
| 12 | 166/3/2 | 0.0550 |
| 13 | 167/1/1 | 0.0020 |
| 14 | 167/1/2 | 0.0010 |
| 15 | 167/2 | 0.0190 |
| 16 | 167/3 | 0.0200 |
| 17 | 208/1 | 0.0060 |
| 18 | 209/1 | 0.0020 |
| 19 | 210 | 0.0250 |
| 20 | 582/210 | 0.0230 |
| 21 | 211 | 0.0530 |
| 22 | 244 | 0.0280 |
| 23 | 347 | 0.0620 |
| 24 | 348 | 0.0490 |
| 25 | 216 | 0.0190 |
| 26 | 217/1 | 0.0280 |
| 27 | 217/2 | 0.0040 |
| 28 | 252/3 | 0.0120 |
| 29 | 358 | 0.0200 |
| 30 | 359/1 | 0.0140 |
| 31 | 359/2 | 0.0140 |
| 32 | 379/2/1 | 0.0300 |
| 33 | 186/1 | 0.0160 |
| 34 | 187/1/1 | 0.0730 |
| 35 | 188/1 | 0.0160 |

| | | |
|---|---|---|
| 36 | 189/1/1 | 0.0880 |
| 37 | 189/2 | 0.1140 |
| 38 | 200 | 0.0080 |
| 39 | 201/1 | 0.2410 |
| 40 | 202/1 | 0.0080 |
| 41 | 341 | 0.0940 |
| 42 | 330 | 0.0240 |
| 43 | 331 | 0.3120 |
| 44 | 205 | 0.0070 |
| 45 | 206 | 0.0060 |
| 46 | 360 | 0.0500 |
| 47 | 191/2 | 0.0080 |
| 48 | 192/1/1 | 0.1090 |
| 49 | 192/2 | 0.0900 |
| 50 | 194/2 | 0.0060 |
| 51 | 301 | 0.0730 |
| 52 | 302/1 | 0.0200 |
| 53 | 302/2 | 0.0200 |
| 54 | 304 | 0.0320 |
| 55 | 306 | 0.0140 |
| 56 | 307 | 0.0090 |
| 57 | 198/3 | 0.0300 |
| 58 | 199 | 0.1170 |
| 59 | 305 | 0.0210 |
| 60 | 45/1 | 0.0570 |
| 61 | 53/1 | 0.1330 |
| 62 | 53/2 | 0.0420 |
| 63 | 52/1/2 | 0.1150 |
| 64 | 81/1/1 | 0.0810 |
| 65 | 81/1/2 | |
| 66 | 81/2/1/1/1 | |
| 67 | 81/2/1/1/2 | |
| 68 | 81/2/1/1/3 | |
| 69 | 81/2/1/1/4 | |
| 70 | 81/2/1/1/5 | |
| 71 | 81/2/1/1/6 | |
| 72 | 81/2/1/1/7 | |
| 73 | 81/2/1/1/9 | |
| 74 | 81/2/1/1/10 | |
| 75 | 81/2/1/1/11 | |
| 76 | 81/2/1/1/12 | |
| 77 | 81/2/1/1/13 | |
| 78 | 81/2/1/1/14 | |
| 79 | 81/2/1/2/1 | |
| 80 | 81/2/2/1 | |
| 81 | 81/2/2/2 | |
| 82 | 81/2/2/3 | |
| 83 | 81/2/1/2/2 | |
| 84 | 81/3 | |
| 85 | 81/4/1/1 | |
| 86 | 81/4/1/2 | |
| 87 | 81/4/1/3 | |
| 88 | 81/4/2 | |
| 89 | 106/1 | 0.0620 |

| | | |
|---|---|---|
| 90 | 105/1 | 0.0330 |
| 91 | 104 | 0.0820 |
| 92 | 103 | 0.0090 |
| 93 | 102 | 0.0100 |
| 94 | 101/1 | 0.0020 |
| 95 | 101/2 | |
| 96 | 101/3 | |
| 97 | 101/4 | |
| 98 | 101/5 | |
| 99 | 101/6 | |
| 100 | 99/2 | 0.0520 |
| 101 | 110 | 0.0800 |
| 102 | 111/1/1/1/1/1/1/1 | 0.0770 |
| 103 | 111/2/2 | 0.0200 |
| 104 | 96/1 | 0.1080 |
| 105 | 92 | 0.1570 |
| 106 | 91 | 0.0210 |
| 107 | 93 | 0.0260 |
| | योग | 3.5990 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है– बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, रीवा शाखा (24 से 33 कि0मी0) के अतंरर्गत नरौरा वितरिका एवं पहाड़ी माइनर के नहर नहर के निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू–अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रानी बाटड़, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र.–2064–भू–अर्जन–24 सतना, दिनांक 11 सितम्बर 2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू– अर्जन अधिनियम 2013 (क्र–एक सन् 2013) की धारा–19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :–

**अनुसूची**

**भूमि का वर्णन** :–(म0प्र0शासन/निजी खाता)
(क) जिला :– सतना
(ख) तहसील :– बिरसिंहपुर
(ग) ग्राम :– **मऊ**
(घ) क्षेत्रफल :– **1.4350 हेक्टेयर**

| स.क्र. | खसरा नंबर | अर्जित रकवा हे.में | |
|---|---|---|---|
| | | निजी भूमि | शासकीय भूमि |
| 1 | 25/3 | 0.0840 | |
| 2 | 32/1 | 0.0110 | |
| 3 | 33 | – | 0.0140 |
| 4 | 34 | 0.0760 | |
| 5 | 35/2 | 0.0250 | |
| 6 | 36 | – | 0.0050 |
| 7 | 37/1 | 0.1320 | |
| 8 | 83 | – | 0.0190 |
| 9 | 88/1/1 | 0.0690 | |
| 10 | 88/1/2/1 | 0.0700 | |
| 11 | 89/1 | 0.0290 | |
| 12 | 90 | – | 0.0240 |
| 13 | 91/1 | 0.0600 | |
| 14 | 91/2 | 0.0600 | |
| 15 | 92/2 | 0.0060 | |
| 16 | 99/1 | 0.0640 | |
| 17 | 100/2 | 0.0250 | |
| 18 | 100/3 | 0.0510 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 19 | 101 | 0.1670 | |
| 20 | 102 | 0.0450 | |
| 21 | 108 | 0.0160 | |
| 22 | 110 | — | 0.0060 |
| 23 | 111/1 | 0.0250 | |
| 24 | 111/2 | 0.0250 | |
| 25 | 111/3 | 0.0310 | |
| 26 | 112 | — | 0.0050 |
| 27 | 113 | 0.0560 | |
| 28 | 114 | 0.0970 | |
| 29 | 116 | — | 0.0020 |
| 30 | 117 | 0.0270 | |
| 31 | 118 | 0.0540 | |
| 32 | 119 | 0.0070 | |
| 33 | 123शा.नं.122 में | 0.0150 | |
| 34 | 124 शा.नं. 122में | 0.0180 | |
| 35 | 144 | 0.0050 | |
| 36 | 145/1 | 0.0100 | |
| | **योग** | **1.3600** | **0.0750** |
| | **महायोग** | **1.4350** | |

(2)सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है – बाणसागर परियोजना के अंतर्गत "मझगवॉ शाखा नहर निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।

(3)भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर,जिला सतना भू–अर्जन के कार्यालय में देखा जा सकताहै।

क्र.–2236–भू–अर्जन–2024 सतना, दिनांक 27 सितम्बर 2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू–अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.–एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:–

**अनुसूची**

(1) भूमि का वर्णनः– (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला –**सतना**

(ख) तहसील– **उंचेहरा**

(ग) नगर /ग्राम – **देवार**

(घ) क्षेत्रफल– 1.7050 हे0

| क0 | खसरा नं. | अर्जित रकवा हे.में |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | 2/1/1 | 0.0520 |
| 2 | 2/2/1 | 0.0370 |
| 3 | 2/3/1 | 0.0330 |
| 4 | 2/4/1 | 0.0430 |
| 5 | 3/1/1/1 | 0.0620 |
| 6 | 3/1/1/2 | 0.0630 |
| 7 | 7/1 | 0.1030 |
| 8 | 18 | 0.0020 |
| 9 | 17/1 | 0.0060 |
| 10 | 17/2 | 0.0080 |
| 11 | 10/1 | 0.0300 |
| 12 | 9 | 0.0610 |
| 13 | 16/1 | 0.1000 |
| 14 | 84 | 0.0300 |
| 15 | 83 | 0.0010 |
| 16 | 81 | 0.3100 |
| 17 | 80 | |
| 18 | 79 | |
| 19 | 78 | |
| 20 | 77/1 | |
| 21 | 77/2 | |

| | | |
|---|---|---|
| 22 | 107 | 0.0310 |
| 23 | 106 | 0.0940 |
| 24 | 105 | 0.0060 |
| 25 | 108/1 | 0.0090 |
| 26 | 108/2 | 0.0060 |
| 27 | 109/1 | 0.0460 |
| 28 | 109/2 | 0.0210 |
| 29 | 110/1 | 0.0600 |
| 30 | 110/2 | 0.0320 |
| 31 | 111/1 | 0.0340 |
| 32 | 111/2 | 0.0340 |
| 33 | 111/3 | 0.0340 |
| 34 | 117 | 0.1940 |
| 35 | 123/1 | 0.0940 |
| 36 | 123/2 | |
| 37 | 123/3 | |
| 38 | 123/4 | |
| 39 | 122/1 | 0.0070 |
| 40 | 122/2 | |
| 41 | 122/3 | |
| 42 | 124/1 | 0.0290 |
| 43 | 124/2 | |
| 44 | 124/3 | |
| 45 | 125 | 0.0270 |
| 46 | 87/1/2 | 0.0060 |
| | | 1.7050 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है–बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद–सतना शाखा नहर के अन्तर्गत लगरगवां वितरिका की सेमरी कुर्मिहाई माइनर एवं नौगवां माइनर के निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू–अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.–2221–भू–अर्जन–2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू– अर्जन अधिनियम 2013,संशोधन (क्र.– एक,सन 2013)की धारा–19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :–

**अनुसूची**

**भूमि का वर्णन** :–(म0प्र0शासन/निजी खाता)

(क) जिला :– सतना

(ख) तहसील :– बिरसिंहपुर

(ग) ग्राम :– **गोडगवां**

(घ) क्षेत्रफल :– **0.0360 हेक्टेयर**

| स.क्र. | खसरा क्र. | निजी भूमि | शासकीय भूमि |
|---|---|---|---|
| 1 | 88/2 में शामिल नं. 89 | 0.0360 | – |
| | **योग** | **0.0360** | |

(2)सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है – बाणसागर परियोजना के अंतर्गत "मझगवॉ शाखा नहर निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।

(3)भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर,जिला सतना भू–अर्जन के कार्यालय में देखा जा सकताहै।

क्र.–2237–भू–अर्जन–2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू–अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.–एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:–

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णनः– (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला –**सतना**

(ख) तहसील– **उंचेहरा**

(ग) नगर /ग्राम – **घोंटी**

(घ) क्षेत्रफल– 2.441 हे0

| क्र. | खसरा नं. | अर्जित रकवा हे.में |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | 28/1/1 | 0.1050 |
| 2 | 28/1/2 | |
| 3 | 27/1 | 0.0700 |
| 4 | 41/2/1 | 0.2150 |
| 5 | 41/2/2 | |
| 6 | 42/2/2 | 0.0200 |
| 7 | 18/1/1/1 | 0.3300 |
| 8 | 18/1/1/2 | |
| 9 | 18/1/2 | |
| 10 | 18/1/3 | |
| 11 | 17/4/2 | 0.0150 |
| 12 | 16 | 0.1200 |
| 13 | 15 | 0.0230 |
| 14 | 60/1 | 0.1450 |
| 15 | 61/1 | 0.3450 |
| 16 | 62 | 0.0120 |
| 17 | 88/1/1 | 0.5230 |
| 18 | 88/2/1 | |
| 19 | 87/3 | 0.0180 |
| 20 | 87/2 | |
| 21 | 124/1 | 0.0450 |
| 22 | 124/2 | |
| 23 | 125/1/1 | 0.0240 |
| 24 | 125/2/2 | |
| 25 | 126 | 0.0110 |
| 26 | 127 | 0.1400 |
| 27 | 128 | 0.0300 |
| 28 | 85 | 0.0150 |
| 29 | 25 | 0.0080 |
| 30 | 129 | 0.0470 |
| 31 | 26 | 0.1050 |
| 32 | 43/1 | 0.0250 |
| 33 | 14/2 | 0.0500 |
| | कुल योग रकबा हे.में– | 2.4410 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है–बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद–सतना शाखा नहर के अन्तर्गत महदेई वितरिका की सेमरी दुबे माइनर के निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू–अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.–2239–भू–अर्जन–2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू–अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.–एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:–

**अनुसूची**

(1) भूमि का वर्णनः– (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला –**सतना**

(ख) तहसील– **उंचेहरा**

(ग) नगर /ग्राम – **पिपरीकला**

(घ) क्षेत्रफल– 0.8170 हे0

| क0 | खसरा नं. | अर्जित रकवा हे.में |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2044/1 | 0.0120 |
| 2 | 2045/1 | 0.0950 |
| 3 | 2012/1 | 0.1020 |
| 4 | 2012/2/2 | 0.1030 |
| 5 | 2011/2/2 | 0.0140 |
| 6 | 2010/1 | 0.1690 |
| 7 | 2009/1 | 0.0070 |
| 8 | 2007/2 | 0.0100 |
| 9 | 2028/2 | 0.0290 |
| 10 | 2028/4 | 0.0060 |
| 11 | 2027/2 | 0.0020 |
| 12 | 2019/1/2 | 0.0800 |
| 13 | 2019/4 | 0.0850 |
| 14 | 2019/5 | 0.0850 |
| 15 | 2008/1 | 0.0180 |
| | कुल योग रकबा हे.में– | 0.8170 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है–बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद–सतना शाखा नहर के अन्तर्गत महदेई वितरिका की सेमरी दुबे माइनर के निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू–अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.–2240–भू–अर्जन–2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू–अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.–एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:–

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णनः– (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला –सतना

(ख) तहसील– उंचेहरा

(ग) नगर /ग्राम – सोंनवर्षा

(घ) क्षेत्रफल– 2.3360 हे0

| क्र. | खसरा नं. | कुल अर्जित रकवा |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | 85/1 | 0.2650 |
| 2 | 84/2 | 0.0840 |
| 3 | 84/3 | |
| 4 | 84/4 | |
| 5 | 84/5 | |
| 6 | 87/1 | 0.1250 |
| 7 | 87/2 | |
| 8 | 88 | 0.0120 |
| 9 | 89/1 | 0.0150 |
| 10 | 89/2 | |
| 11 | 93/1 | 0.0100 |
| 12 | 93/2 | |
| 13 | 93/3 | |
| 14 | 93/4 | |
| 15 | 93/5 | |
| 16 | 94/1 | 0.1300 |
| 17 | 94/2 | |
| 18 | 94/3 | |
| 19 | 94/4 | |
| 20 | 95/1 | 0.0200 |
| 21 | 95/2 | |
| 22 | 95/3 | |
| 23 | 95/4 | |

| | | |
|---|---|---|
| 24 | 118/1 | 0.0600 |
| 25 | 118/2 | |
| 26 | 119/1/2/1 | 0.4240 |
| 27 | 119/1/2/2 | |
| 28 | 119/2/1 | |
| 29 | 119/2/2 | |
| 30 | 52/1 | 0.1300 |
| 31 | 52/2 | |
| 32 | 57/1 | 0.0450 |
| 33 | 57/2 | |
| 34 | 57/3/2 | |
| 35 | 57/3/3 | |
| 36 | 57/4/1 | |
| 37 | 57/4/2 | |
| 38 | 56 | 0.1650 |
| 39 | 54/4/1 | 0.0460 |
| 40 | 54/4/3 | |
| 41 | 73/1 | 0.1600 |
| 42 | 73/2/1 | |
| 43 | 73/3 | |
| 44 | 75/1/1 | 0.2400 |
| 45 | 75/1/2 | |
| 46 | 75/1/3 | |
| 47 | 75/2/1 | |
| 48 | 75/2/2 | |
| 49 | 75/2/3 | |
| 50 | 75/3 | |
| 51 | 81/1 | 0.1100 |
| 52 | 81/2/1 | |
| 53 | 81/2/2 | |
| 54 | 81/2/3 | |
| 55 | 81/3 | |

| | | |
|---|---|---|
| 56 | 91 | 0.0800 |
| 57 | 92/1/1 | 0.0200 |
| 58 | 92/1/2 | |
| 59 | 92/2 | |
| 60 | 92/3/1 | |
| 61 | 92/3/2 | |
| 62 | 58 | 0.0040 |
| 63 | 76/1 | 0.0500 |
| 64 | 76/2 | |
| 65 | 76/3 | |
| 66 | 76/4 | |
| 67 | 136/1/1 | 0.0620 |
| 68 | 136/1/2 | 0.0620 |
| 69 | 136/2/1/2 | 0.0020 |
| 70 | 66/2 | 0.0150 |
| | कुल योग रकबा हे.में– | 2.3360 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है–बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद–सतना शाखा. नहर के अन्तर्गत महदेई वितरिका की सेमरी दुबे माइनर के निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू–अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.–2241–भू–अर्जन–2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू–अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.–एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:–

**अनुसूची**

(1) भूमि का वर्णनः– (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला –**सतना**

(ख) तहसील– **उंचेहरा**

(ग) नगर /ग्राम – **पपरेगा**

(घ) क्षेत्रफल– 0.6620 हे0

| क0 | खसरा नं. | अर्जित रकवा हे.में |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | 614 | 0.0310 |
| 2 | 613 | 0.0230 |
| 3 | 611 | 0.0060 |
| 4 | 610 | 0.0070 |
| 5 | 632 | 0.0020 |
| 6 | 633 | 0.0030 |
| 7 | 639 | 0.0130 |
| 8 | 638 | 0.0110 |
| 9 | 640 | 0.0010 |
| 10 | 642 | 0.0130 |
| 11 | 643 | 0.0310 |
| 12 | 644 | 0.0010 |
| 13 | 681 | 0.0050 |
| 14 | 684/2 | 0.0310 |
| 15 | 683 | 0.0390 |
| 16 | 684/1/1 | 0.0060 |
| 17 | 684/1/2 | 0.0050 |
| 18 | 685/1 | 0.0140 |
| 19 | 685/2 | 0.0260 |
| 20 | 686/1 | 0.0050 |
| 21 | 686/2 | 0.0110 |
| 22 | 688/1 | 0.0100 |
| 23 | 687/1 | 0.0090 |
| 24 | 678/2 | 0.0190 |
| 25 | 706/1 | 0.0420 |
| 26 | 706/2 | 0.2980 |
| | कुल योग रकबा हे.में– | 0.6620 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है–बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद–सतना शाखा नहर के अन्तर्गत लगरगवां वितरिका की कुलपुरा सब माइनर के निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू–अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.–2377–भू–अर्जन–2024 सतना, दिनांक 14 अक्टूबर 2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू–अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.–एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:–

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णनः– (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला –**सतना**

(ख) तहसील– उंचेहरा

(ग) नगर /ग्राम – **बिहटा**

(घ) क्षेत्रफल– 9.5930 हे0

| क0 | खसरा नं. | अर्जित रकवा हे.में |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | 23/1 | 0.0940 |
| 2 | 23/2 | 0.0940 |
| 3 | 57 | 0.1350 |
| 4 | 58/1/1 | 0.1000 |
| 5 | 58/1/2 | 0.0820 |
| 6 | 59/1 | 0.0730 |
| 7 | 76/1 | 0.0420 |
| 8 | 76/3 | 0.0870 |
| 9 | 75 | 0.0600 |
| 10 | 77 | 0.0310 |
| 11 | 78 | 0.0360 |
| 12 | 79 | 0.1010 |
| 13 | 80/1 | 0.0030 |
| 14 | 80/2 | 0.0630 |
| 15 | 68 | 0.0300 |
| 16 | 81 | 0.0210 |
| 17 | 249 | 0.0450 |
| 18 | 248 | 0.0600 |
| 19 | 252/2 | 0.0820 |
| 20 | 253 | 0.0570 |
| 21 | 250 | 0.0650 |
| 22 | 251 | 0.0730 |
| 23 | 246 | 0.0790 |

| | | |
|---|---|---|
| 24 | 425 | 0.0250 |
| 25 | 426 | 0.1600 |
| 26 | 245 | 0.0140 |
| 27 | 433 | 0.0920 |
| 28 | 434/1 | 0.1170 |
| 29 | 434/2 | 0.0420 |
| 30 | 441 | 0.0910 |
| 31 | 442 | 0.0090 |
| 32 | 436 | 0.0630 |
| 33 | 438 | 0.0410 |
| 34 | 427 | 0.0070 |
| 35 | 447 | 0.0650 |
| 36 | 448 | 0.0870 |
| 37 | 437 | 0.0690 |
| 38 | 524 | 0.1180 |
| 39 | 523 | 0.2580 |
| 40 | 522 | 0.1360 |
| 41 | 521 | 0.0420 |
| 42 | 520/1 | 0.0160 |
| 43 | 551 | 0.0730 |
| 44 | 552 | 0.0730 |
| 45 | 553 | 0.0370 |
| 46 | 557 | 0.0980 |
| 47 | 558 | 0.2200 |
| 48 | 559 | |
| 49 | 560/1 | |
| 50 | 560/2 | |
| 51 | 665/1 | |
| 52 | 665/2 | |
| 53 | 666 | |
| 54 | 668 | 0.0430 |
| 55 | 656 | 0.0060 |
| 56 | 663 | 0.0860 |
| 57 | 660 | 0.0420 |
| 58 | 661 | 0.1080 |

| | | |
|---|---|---|
| 59 | 672 | 0.0300 |
| 60 | 657 | 0.0730 |
| 61 | 658 | 0.0500 |
| 62 | 650 | 0.0300 |
| 63 | 647/2 | 0.0050 |
| 64 | 643 | 0.0180 |
| 65 | 644 | 0.0660 |
| 66 | 649 | 0.1020 |
| 67 | 645 | |
| 68 | 646/1 | |
| 69 | 646/2 | |
| 70 | 635/2/1 | 0.0420 |
| 71 | 1417/1/2 | 0.0310 |
| 72 | 1417/2/1 | 0.1460 |
| 73 | 2241 | 0.0100 |
| 74 | 2242 | 0.0420 |
| 75 | 2243 | 0.0330 |
| 76 | 2248 | 0.0180 |
| 77 | 2259 | 0.2420 |
| 78 | 2258 | 0.0090 |
| 79 | 2274 | 0.1490 |
| 80 | 2277 | 0.1710 |
| 81 | 2278 | 0.0680 |
| 82 | 2280 | 0.0510 |
| 83 | 2281 | 0.0180 |
| 84 | 2282/2 | 0.0810 |
| 85 | 2284 | 0.0760 |
| 86 | 2283 | 0.0200 |
| 87 | 2286 | 0.0020 |
| 88 | 2317 | 0.0730 |
| 89 | 2326 | 0.0020 |
| 90 | 2318 | 0.0420 |
| 91 | 2319 | 0.0460 |
| 92 | 2321 | 0.0270 |
| 93 | 2322 | 0.0650 |

| | | |
|---|---|---|
| 94 | 2323 | 0.0630 |
| 95 | 2324/1 | 0.0090 |
| 96 | 2324/2 | |
| 97 | 2390 | 0.0520 |
| 98 | 3181 | 0.0670 |
| 99 | 3183 | 0.0060 |
| 100 | 3184 | 0.0600 |
| 101 | 3185 | 0.0630 |
| 102 | 3177 | 0.0560 |
| 103 | 3175 | 0.0060 |
| 104 | 3172/1 | 0.0240 |
| 105 | 3172/2 | |
| 106 | 3170 | 0.0580 |
| 107 | 3165 | 0.0400 |
| 108 | 3166 | 0.0390 |
| 109 | 3167 | 0.0420 |
| 110 | 3152 | 0.0090 |
| 111 | 417 | 0.0370 |
| 112 | 418 | 0.0520 |
| 113 | 419 | 0.0020 |
| 114 | 415/1 | 0.0780 |
| 115 | 416/1 | |
| 116 | 394 | 0.0760 |
| 117 | 395 | 0.0420 |
| 118 | 396 | 0.0990 |
| 119 | 368 | 0.0210 |
| 120 | 369 | 0.0420 |
| 121 | 373 | 0.0600 |
| 122 | 374 | 0.0500 |
| 123 | 375 | 0.0080 |
| 124 | 363 | 0.0050 |
| 125 | 364 | 0.0860 |
| 126 | 831 | 0.0640 |
| 127 | 832 | 0.0310 |
| 128 | 837 | 0.0600 |

| | | |
|---|---|---|
| 129 | 838 | 0.0080 |
| 130 | 866 | 0.0020 |
| 131 | 870 | 0.0940 |
| 132 | 869 | 0.0610 |
| 133 | 1058 | 0.0600 |
| 134 | 1059 | 0.0420 |
| 135 | 1061 | 0.0010 |
| 136 | 1062 | 0.0560 |
| 137 | 1063 | 0.0010 |
| 138 | 1065 | 0.0320 |
| 139 | 1064 | 0.0100 |
| 140 | 1070 | 0.0420 |
| 141 | 1072 | 0.0390 |
| 142 | 1038/2 | 0.0580 |
| 143 | 1037 | 0.0490 |
| 144 | 1036 | 0.0040 |
| 145 | 1035/2 | 0.0350 |
| 146 | 1032/1 | 0.0240 |
| 147 | 1032/2 | |
| 148 | 1030 | 0.0420 |
| 149 | 1031 | 0.0520 |
| 150 | 1021 | 0.0210 |
| 151 | 1022 | 0.0210 |
| 152 | 1018/1 | 0.1880 |
| 153 | 1017 | 0.0210 |
| 154 | 1561/1 | 0.0210 |
| 155 | 1618 | 0.0720 |
| 156 | 1562 | 0.0790 |
| 157 | 1564 | 0.0320 |
| 158 | 1565 | 0.0580 |
| 159 | 1566 | 0.0090 |
| 160 | 1558/1/1 | 0.0600 |
| 161 | 1558/1/2 | |
| 162 | 1551 | 0.0210 |
| 163 | 1548 | 0.0960 |

| | | |
|---|---|---|
| 164 | 1545 | 0.0870 |
| 165 | 1547 | 0.0020 |
| 166 | 1549/1 | 0.0230 |
| 167 | 1549/2 | 0.0340 |
| 168 | 1523 | 0.0020 |
| 169 | 1526/1 | 0.0100 |
| 170 | 1527 | 0.1160 |
| 171 | 1504 | 0.0010 |
| 172 | 1505 | 0.1420 |
| 173 | 1494 | |
| 174 | 1486 | |
| 175 | 1487 | |
| 176 | 1493 | |
| 177 | 1492 | 0.0020 |
| 178 | 1506 | 0.0630 |
| 179 | 1507 | 0.0160 |
| 180 | 1484 | 0.0510 |
| 181 | 1474 | 0.0710 |
| 182 | 1476 | 0.0020 |
| 183 | 1475 | 0.0150 |
| 184 | 2841 | 0.0730 |
| 185 | 2842 | 0.0480 |
| 186 | 2846/2 | 0.1340 |
| 187 | 2855/2/1 | 0.0220 |
| 188 | 2856/3 | 0.0010 |
| 189 | 2858/1 | 0.0090 |
| 190 | 2858/2 | |
| 191 | 2858/3 | |
| 192 | 2858/4 | |
| 193 | 2858/5 | |
| 194 | 2859/1 | 0.0060 |
| 195 | 2859/2 | |
| 196 | 2874/1 | 0.0890 |
| 197 | 2874/2 | |
| 198 | 2871 | 0.0210 |
| 199 | 2869 | 0.0050 |
| 200 | 2860 | 0.0990 |
| 201 | 2861 | |
| 202 | 2862 | |
| 203 | 2875/1/1 | 0.0420 |
| 204 | 2875/1/2 | |
| 205 | 2873 | |
| | कुल योग रकबा हे.में– | 9.5930 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है–बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद–सतना शाखा नहर के अन्तर्गत लगरगवां वितरिका कुंदहरी खुर्द माइनर एवं नौगवां माइनर के निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कैलेक्टर (भू–अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.–2379–भू–अर्जन–2024 सतना, दिनांक 15 अक्टूबर 2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू–अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.–एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:–

**अनुसूची**

(1) भूमि का वर्णनः– (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला –**सतना**

(ख) तहसील– **उंचेहरा**

(ग) नगर /ग्राम – **कुंदहरी खुर्द**

(घ) क्षेत्रफल– 2.6850 हे0

| क्र. | खसरा नं. | अर्जित रकवा हे.में |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | 4/4/4/2 | 0.0840 |
| 2 | 4/3/3 | 0.0590 |
| 3 | 4/2/2 | 0.0400 |
| 4 | 3/1 | 0.0200 |
| 5 | 5/1 | 0.0600 |
| 6 | 5/2 | |
| 7 | 5/3 | |
| 8 | 6 | 0.0940 |
| 9 | 53/1 | 0.0350 |
| 10 | 53/2 | 0.0330 |
| 11 | 54 | 0.0560 |
| 12 | 55 | 0.0250 |
| 13 | 77/3 | 0.0110 |
| 14 | 70 | 0.0120 |
| 15 | 71 | 0.0580 |
| 16 | 72/2 | 0.0540 |
| 17 | 87 | 0.0500 |
| 18 | 85 | 0.0590 |
| 19 | 90 | 0.0360 |
| 20 | 91 | 0.0680 |
| 21 | 92 | 0.0510 |
| 22 | 386/1 | 0.0250 |
| 23 | 387/1 | 0.1050 |

| | | |
|---|---|---|
| 24 | 381 | 0.0310 |
| 25 | 382 | 0.0630 |
| 26 | 368 | 0.0080 |
| 27 | 367/3 | 0.0420 |
| 28 | 367/2 | |
| 29 | 367/1/2 | |
| 30 | 367/1/1 | |
| 31 | 380 | 0.1570 |
| 32 | 379 | 0.0080 |
| 33 | 388/2 | 0.0980 |
| 34 | 388/1 | 0.0990 |
| 35 | 362 | 0.1600 |
| 36 | 363/2 | 0.0080 |
| 37 | 360 | 0.0940 |
| 38 | 358/1 | 0.2020 |
| 39 | 355 | 0.1870 |
| 40 | 354 | 0.0700 |
| 41 | 352/1 | 0.1500 |
| 42 | 345/2 | 0.0290 |
| 43 | 340/1 | 0.0200 |
| 44 | 340/2 | 0.0160 |
| 45 | 341/3 | 0.0150 |
| 46 | 341/6 | 0.0300 |
| 47 | 343 | 0.0300 |
| 48 | 344 | 0.0300 |
| 49 | 339 | 0.0180 |
| 50 | 329/1 | 0.0060 |
| 51 | 327/1 | 0.0200 |
| 52 | 327/2 | 0.0150 |
| 53 | 328/1 | 0.0100 |
| 54 | 328/2 | 0.0340 |
| | कुल रकबा हे.में– | 2.6850 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है–बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद–सतना शाखा नहर के अन्तर्गत लगरगवां वितरिका कुंदहरी खुर्द माइनर एवं नौगवां माइनर के निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू–अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.–2380–भू–अर्जन–2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू–अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.–एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:–

**अनुसूची**

(1) भूमि का वर्णनः– (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला –**सतना**

(ख) तहसील– **उंचेहरा**

(ग) नगर /ग्राम – **अकही**

(घ) क्षेत्रफल– 2.089 हे0

| क0 | खसरा नं. | अर्जित रकवा हे.में |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | 71 | 0.0750 |
| 2 | 70 | 0.0470 |
| 3 | 80 | 0.0420 |
| 4 | 82 | 0.0520 |
| 5 | 83 | 0.0060 |
| 6 | 89 | 0.0230 |
| 7 | 90 | 0.0130 |
| 8 | 88 | 0.0940 |
| 9 | 94 | 0.0350 |
| 10 | 95 | 0.0330 |
| 11 | 96 | 0.0570 |
| 12 | 42/2/1/2/6 | 0.1050 |
| 13 | 153 | 0.0540 |
| 14 | 154 | 0.0650 |
| 15 | 158 | 0.0340 |
| 16 | 159 | 0.0420 |
| 17 | 160/3 | 0.0180 |
| 18 | 161 | 0.0940 |
| 19 | 160/1 | 0.0080 |
| 20 | 160/2 | 0.0040 |
| 21 | 162 | 0.0240 |
| 22 | 164/2/1 | 0.1850 |

| | | |
|---|---|---|
| 23 | 164/2/2/1 | 0.2200 |
| 24 | 195/2 | 0.0180 |
| 25 | 225/1/1/1 | 0.0720 |
| 26 | 208/3 | 0.0370 |
| 27 | 221/1/1 | 0.1500 |
| 28 | 220/1/1 | 0.1030 |
| 29 | 218/2/2/1 | 0.0500 |
| 30 | 208/2/2/1 | 0.0270 |
| 31 | 218/2/2/2 | 0.0270 |
| 32 | 208/2/2/2 | 0.0110 |
| 33 | 208/1 | 0.0740 |
| 34 | 218/1 | 0.1530 |
| 35 | 208/4 | 0.0370 |
| | कुल योग रकबा हे.में– | 2.0890 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है–बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद–सतना शाखा नहर के अन्तर्गत लगरगवां वितरिका की नौगवां माइनर के निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू–अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.–2381–भू–अर्जन–2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू–अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.–एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:–

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णनः– (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला –**सतना**

(ख) तहसील– **उंचेहरा**

(ग) नगर /ग्राम – **बांधीमौहार**

(घ) क्षेत्रफल– 1.4790 हे0

| क0 | खसरा नं. | अर्जित रकबा हे.में |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | 670/2/3/1 | 0.0270 |
| 2 | 670/2/3/2 | 0.0270 |
| 3 | 670/2/3/3 | 0.0270 |
| 4 | 967/1 | 0.2610 |
| 5 | 968/1 | 0.0180 |
| 6 | 969 | 0.0130 |
| 7 | 970/1 | 0.0900 |
| 8 | 970/2/1 | 0.0570 |
| 9 | 971/1 | 0.0470 |
| 10 | 971/2/1 | 0.0240 |
| 11 | 972/1 | 0.0700 |
| 12 | 972/2 | 0.0700 |
| 13 | 973/2 | 0.1310 |
| 14 | 973/4/1 | 0.0630 |
| 15 | 973/4/2 | 0.0630 |
| 16 | 975/2 | 0.0210 |
| 17 | 975/3 | 0.0060 |
| 18 | 973/3/1 | 0.0880 |
| 19 | 709/2/1 | 0.0220 |
| 20 | 704/3/1/1 | 0.1660 |
| 21 | 702/1 | 0.1660 |
| 22 | 700/1 | 0.0220 |
| | कुल योग रकबा हे.में– | 1.4790 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है–बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद–सतना शाखा नहर के अन्तर्गत महदेई वितरिका की सेमरीदुबे माइनर एवं उमरी माइनर के निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू–अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

# कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र.–6–अ–82–भू–अर्जन–जबेरा–2023–24 दमोह, दिनांक 3 अक्टूबर 2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई सूची के पद (1) में वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा–19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

**अधिसूची धारा–19**

भूमि का वर्णन

क.– जिला – दमोह

ख.– तहसील – जबेरा

ग.– ग्राम –पिपरिया सिंगौरगढ़

घ. – लगभग क्षेत्रफल – 1.741 हेक्ट.

| स. क्र. | खसरा क्र. | कुल रकवा हे. में | अर्जित रकवा हे. में |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 247 | 0.25 | 0.084 |
| | 246 | 0.29 | 0.117 |
| | 185 | 0.29 | 0.036 |
| 2 | 243/1 | 0.47 | 0.018 |
| 3 | 243/2 | 0.46 | 0.018 |
| 4 | 242 | 0.27 | 0.084 |
| 5 | 147/1/1/1 | 2.02 | 0.005 |
| 6 | 147/1/1/2 | 0.4 | 0.005 |
| 7 | 147/1/2 | 0.54 | 0.011 |
| | 147/1/3 | 0.41 | 0.011 |
| 8 | 147/1/4 | 0.54 | 0.011 |
| | 147/1/5 | 0.4 | 0.011 |
| | 147/1/6 | 0.41 | 0.011 |
| 9 | 147/2 | 0.8 | 0.082 |
| 10 | 147/3 | 0.82 | 0.082 |
| 11 | 147/4 | 1.62 | 0.082 |
| 12 | 147/5/1 | 1.23 | 0.041 |
| 13 | 147/5/2 | 0.4 | 0.041 |
| 14 | 103/1 | 0.01 | 0.002 |
| 15 | 103/2 | 0.65 | 0.092 |
| 16 | 103/3 | 0.53 | 0.080 |
| 17 | 103/4 | 0.3 | 0.036 |
| 18 | 102 | 0.42 | 0.120 |
| 19 | 36/1 | 0.41 | 0.045 |
| | 36/2 | 0.4 | 0.045 |
| 20 | 41 | 0.28 | 0.066 |
| 21 | 38 | 0.27 | 0.072 |
| 22 | 45 | 0.87 | 0.132 |
| 23 | 44/1 | 0.27 | 0.045 |
| 24 | 44/2 | 0.28 | 0.045 |
| 25 | 46 | 0.41 | 0.027 |
| 26 | 47 | 0.38 | 0.078 |
| 27 | 40 | 0.5 | 0.017 |
| 28 | 151 | 0.36 | 0.007 |
| 29 | 183 | 0.15 | 0.072 |
| | 29 किता | 18.11 | 1.741 |

क्र.–7–अ–82–भू–अर्जन–तेदूखेड़ा–2024–25 दमोह, दिनांक 27 सितम्बर 2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई सूची के पद (1) में वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा–19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

**अनुसूची**

1 भूमि का वर्णन

क.– जिला – दमोह

ख.– तहसील – जबेरा

ग.– ग्राम – पारना

घ. – लगभग क्षेत्रफल – 6.725 हेक्ट.

| स.क्र. | खसरा क्र. | कुल रकवा हे. में | अर्जित रकवा हे. में |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | ग्राम – पारना | | |
| 1 | 384/1/1 | 0.640 | 0.026 |
| 2 | 384/1/2/1 | 0.210 | 0.008 |
| 3 | 384/1/2/2 | 0.220 | 0.008 |
| 4 | 384/1/2/3 | 0.210 | 0.008 |
| 5 | 322 | 0.52 | 0.152 |
| 6 | 321 | 1.04 | 0.180 |
| 7 | 319 | 0.97 | 0.056 |
| | 294 | 0.76 | 0.072 |
| 8 | 293 | 1.36 | 0.112 |
| 9 | 313/524 | 0.46 | 0.040 |
| 10 | 313 | 0.46 | 0.180 |
| 11 | 300 | 0.78 | 0.208 |
| 12 | 198 | 0.29 | 0.108 |
| 13 | 206/1 | 0.27 | 0.068 |
| 14 | 206/2 | 0.44 | 0.068 |
| 15 | 212 | 0.52 | 0.120 |
| 16 | 223/1 | 0.14 | 0.040 |
| 17 | 223/2 | 0.04 | 0.040 |
| 18 | 222/1 | 0.54 | 0.110 |
| 19 | 222/2 | 0.53 | 0.110 |
| 20 | 228 | 0.85 | 0.216 |
| | 95 | 0.22 | 0.092 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 21 | 235 | 0.36 | 0.068 |
| 22 | 236 | 0.31 | 0.288 |
| 23 | 96 | 0.4 | 0.095 |
| 24 | 87 | 0.58 | 0.148 |
| 25 | 82/1 | 1.49 | 0.236 |
| 26 | 80 | 3.4 | 0.276 |
| 27 | 78 | 0.66 | 0.168 |
| 28 | 72/1/2 | 0.8 | 0.154 |
| 29 | 72/3 | 0.8 | 0.154 |
| 30 | 72/4 | 0.8 | 0.154 |
| 31 | 72/5 | 0.8 | 0.154 |
| 32 | 86/1/1 | 0.48 | 0.021 |
| 33 | 86/1/2 | 0.17 | 0.021 |
| 34 | 86/2 | 0.4 | 0.042 |
| 35 | 207 | 0.42 | 0.080 |
| 36 | 211/1 | 0.52 | 0.060 |
| 37 | 211/2 | 0.18 | 0.060 |
| 38 | 314 | 1.35 | 0.119 |
| 39 | 318 | 0.98 | 0.184 |
| 40 | 386 | 0.32 | 0.204 |
| 41 | 93 | 0.13 | 0.042 |
| 42 | 320 | 0.74 | 0.144 |
| | पारना माईनर | | |
| 43 | 322 | 0.52 | 0.096 |
| 44 | 324 | 0.21 | 0.036 |
| 45 | 325 | 0.57 | 0.060 |
| 46 | 326 | 1.03 | 0.174 |
| 47 | 329 | 0.56 | 0.076 |
| 48 | 343/1 | 0.4 | 0.030 |
| 49 | 343/2 | 0.08 | 0.030 |
| 50 | 344/1 | 0.37 | 0.028 |
| 51 | 344/2 | 0.4 | 0.028 |
| 52 | 345 | 0.22 | 0.036 |
| 53 | 347 | 0.17 | 0.048 |
| 54 | 346 | 1.15 | 0.039 |
| 55 | 349 | 0.44 | 0.096 |
| 56 | 304/1 | 0.09 | 0.037 |
| 57 | 304/2 | 0.09 | 0.037 |
| 58 | 304/3 | 0.18 | 0.037 |
| 59 | 192 | 0.66 | 0.096 |
| 60 | 193 | 0.76 | 0.082 |
| 61 | 162 | 0.21 | 0.050 |
| 62 | 160/2 | 0.14 | 0.075 |
| | 159 | 0.85 | 0.066 |
| 63 | 158 | 1.12 | 0.114 |
| 64 | 169/1 | 0.43 | 0.100 |
| 65 | 169/3 | 0.22 | 0.100 |
| 66 | 157 | 1.92 | 0.252 |
| | 66 किता | **40.35** | **6.7255** |

2. पारना जलाशय की नहर के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
3. भूमि के नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी कार्यालय तेंदूखेडा एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
4. उल्लेखित भूमि के हितवद्व कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिवस के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी तेंदूखेडा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है

क्र.–8–अ–82–भू–अर्जन–जबेरा–2023–24 दमोह, दिनांक 3 अक्टूबर 2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई सूची के पद (1) में वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा–19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

**अधिसूची धारा–19**

भूमि का वर्णन

क.– जिला – दमोह

ख.– तहसील – जबेरा

ग.– ग्राम – कोरता

घ. – लगभग क्षेत्रफल – 2.380 हेक्ट.

| स. क्र. | खसरा क्र. | कुल रकवा हे. में | अर्जित रकवा हे. में |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 79/1 | 0.13 | 0.020 |
| 2 | 79/2 | 0.13 | 0.020 |
| 3 | 80 | 0.41 | 0.144 |
| | कोरता माईनर | | |
| 4 | 77/1 | 0.36 | 0.096 |
| 5 | 77/2 | 0.72 | 0.096 |
| 6 | 72 | 0.57 | 0.192 |
| 7 | 70 | 0.14 | 0.060 |
| 8 | 71 | 0.39 | 0.060 |
| 9 | 67 | 1.06 | 0.217 |
| 10 | 110 | 0.62 | 0.032 |
| 11 | 111 | 1.22 | 0.252 |
| 12 | 51 | 0.5 | 0.088 |
| 13 | 112 | 0.74 | 0.164 |
| 14 | 52/1 | 0.27 | 0.034 |
| 15 | 52/2 | 0.22 | 0.034 |
| 16 | 48 | 0.74 | 0.096 |
| 17 | 47 | 0.59 | 0.124 |
| 18 | 41/1 | 0.29 | 0.034 |
| 19 | 41/2 | 0.14 | 0.034 |
| 20 | 41/3 | 0.14 | 0.034 |
| 21 | 21\1\1 | 0.12 | 0.026 |
| 22 | 21\1\2 | 0.04 | 0.026 |
| | 21\2\2 | 0.05 | 0.026 |
| 23 | 21\2\1 | 0.04 | 0.026 |
| 24 | 22 | 0.99 | 0.200 |
| 25 | 75 | 0.98 | 0.160 |
| 26 | 62 | 1.18 | 0.076 |
| 27 | 68 | 0.22 | 0.009 |
| | 27 किता | **13.00** | **2.380** |

क्र.–9–अ–82–भू–अर्जन–तेन्दूखेड़ा–2024–25 दमोह, दिनांक 27 सितम्बर 2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई सूची के पद (1) में वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा–19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता: है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

**अनुसूची**

1 भूमि का वर्णन

क.– जिला – दमोह

ख.– तहसील – जबेरा

ग.– ग्राम – डेलनखेड़ा

घ. – लगभग क्षेत्रफल – 1.572 हेक्ट.

| स. क्र. | खसरा क्र. | कुल रकवा हे. में | अर्जित रकवा हे. में |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 368 | 0.24 | 0.051 |
| 2 | 366 | 0.14 | 0.063 |
| 3 | 365/1 | 1.12 | 0.130 |
| 4 | 365/2 | 1.12 | 0.130 |
| 5 | 164/1 | 0.32 | 0.026 |
| 6 | 164/2 | 0.3 | 0.026 |
| | 164/3 | 0.3 | 0.026 |
| | 165 | 0.31 | 0.068 |
| 7 | 139 | 1.03 | 0.099 |
| 8 | 140/1 | 0.41 | 0.028 |
| | 140/2 | 0.4 | 0.028 |
| 9 | 154 | 1 | 0.149 |
| 10 | 153/1 | 0.18 | 0.043 |
| 11 | 153/2 | 0.54 | 0.043 |
| 12 | 145 | 0.79 | 0.087 |
| 13 | 146/1 | 0.58 | 0.043 |
| 14 | 146/2 | 0.14 | 0.043 |
| 15 | 147/1 | 0.64 | 0.036 |
| 16 | 147/2 | 0.2 | 0.036 |
| 17 | 159 | 0.86 | 0.126 |
| 18 | 162 | 0.35 | 0.078 |
| 19 | 163 | 0.58 | 0.001 |
| 20 | 369 | 0.16 | 0.024 |
| 21 | 379 | 1.09 | 0.180 |
| | 21 किता | 12.8 | 1.572 |

2. पारना जलाशय की नहर के निर्माण हेतु सार्वेजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

3. भूमि के नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी कार्यालय तेदूखेडा एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

4. उल्लेखित भूमि के हितवद्व कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिवस के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी तेदूखेडा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है ।

क्र.–10–अ–82–भू–अर्जन–तेन्दूखेड़ा–2024–25

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई सूची के पद (1) में वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा–19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन :–

क.– जिला – दमोह

ख.– तहसील – जबेरा

ग.– ग्राम – वंशीपुर

घ. – लगभग क्षेत्रफल – 3.881 हेक्ट.

| स.क्र. | खसरा क्र. | कुल रकवा हे. में | अर्जित रकवा हे. में |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | मुख्य नहर | | |
| 1 | 616 | 0.72 | 0.063 |
| 2 | 495 | 1.51 | 0.114 |
| 3 | 528 | 1.55 | 0.174 |
| 4 | 526 | 1.05 | 0.030 |
| 5 | 490 | 0.58 | 0.135 |
| 6 | 493 | 0.17 | 0.045 |
| 7 | 501/2 | 0.2 | 0.126 |
| 8 | 500 | 0.99 | 0.171 |
| 9 | 404/1 | 0.41 | 0.075 |
| 10 | 404/2 | 0.81 | 0.075 |
| 11 | 405/1 | 0.55 | 0.028 |
| 12 | 405/2 | 0.55 | 0.028 |
| 13 | 405/3 | 0.56 | 0.028 |
| 14 | 405/4/1 | 0.16 | 0.014 |
| 15 | 405/4/2 | 0.4 | 0.014 |
| 16 | 489/1 | 0.3 | 0.019 |
| 17 | 489/2 | 0.29 | 0.019 |
| 18 | 527/1 | 0.25 | 0.039 |
| 19 | 527/2 | 0.25 | 0.039 |
| 20 | 527/3 | 0.25 | 0.039 |
| 21 | 527/4 | 0.26 | 0.039 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 22 | 534/1 | 0.36 | 0.061 |
| 23 | 534/2 | 1.0 | 0.061 |
| 24 | 535 | 0.4 | 0.060 |
| 25 | 536 | 0.45 | 0.072 |
| 26 | 537 | 0.47 | 0.087 |
| 27 | 540/1 | 0.35 | 0.057 |
| 28 | 540/2 | 0.34 | 0.057 |
| 29 | 542 | 0.37 | 0.081 |
| | ग्राम – वंशीपुर (कोरता माईनर) | | |
| 1 | 863/776 | 0.32 | 0.108 |
| 2 | 780/1 | 0.29 | 0.046 |
| 3 | 780/2/1 | 0.18 | 0.023 |
| 4 | 780/2/2 | 0.4 | 0.023 |
| 5 | 780/3 | 0.29 | 0.046 |
| 6 | 716 | 1.8 | 0.288 |
| 7 | 715/1 | 0.19 | 0.055 |
| 8 | 715/2 | 0.6 | 0.055 |
| 9 | 715/3 | 0.4 | 0.055 |
| 10 | 715/4 | 0.18 | 0.055 |
| 11 | 676 | 0.45 | 0.084 |
| 12 | 677 | 0.5 | 0.120 |
| 13 | 679/1 | 0.43 | 0.032 |
| 14 | 679/2 | 0.22 | 0.032 |
| 15 | 679/3 | 0.22 | 0.032 |
| 16 | 174/1 | 0.51 | 0.084 |
| 17 | 174/2 | 0.51 | 0.084 |
| 18 | 159 | 1.29 | 0.264 |
| 19 | 151 | 0.06 | 0.040 |
| 20 | 160/1 | 0.08 | 0.012 |
| 21 | 160/2 | 0.16 | 0.012 |
| 22 | 173 | 0.37 | 0.032 |
| 23 | 779 | 1.53 | 0.172 |
| 24 | 788/1 | 0.15 | 0.030 |
| 25 | 788/2 | 0.1 | 0.030 |
| 26 | 789/1 | 0.06 | 0.036 |
| 27 | 789/2 | 0.07 | 0.036 |
| 28 | 790 | 1.38 | 0.136 |
| | 57 किता | **28.29** | **3.881** |

2. पारना जलाशय की नहर के निर्माण हेतु सार्वेजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

3. भूमि के नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी कार्यालय तेदूखेडा एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

4. उल्लेखित भूमि के हितवद्व कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिवस के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी तेदूखेडा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**सुधीर कुमार कोचर**, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र.–6198–भू–अर्जन–2024

छिन्दवाड़ा, दिनांक 8 अक्टूबर 2024

चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः **"भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा–19** के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

**–:अनुसूची:–**

**1. भूमि का वर्णन**

| | | |
|---|---|---|
| क. | जिला | **छिन्दवाड़ा** |
| ख. | तहसील | **छिन्दवाड़ा** |
| ग. | नगर / ग्राम | **ग्राम– नवेगांव**<br>**प0ह0न–54**<br>**ब.न.–293**<br>**रा.नि.मं.–छिन्दवाडा** |
| घ. | अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल | **कुल रकबा–32.161 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां** |

| कमांक | प्रस्तावित खसरा नंबर | प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | 280 | 0.144 |
| 2 | 281 | 0.004 |
| 3 | 279 | 0.073 |
| 4 | 276/1 | 0.053 |
| 5 | 274 | 0.151 |
| 6 | 275 | 0.101 |
| 7 | 269 | 0.067 |
| 8 | 267/4 | 0.115 |
| 9 | 267/5 | 0.077 |
| 10 | 264/2 | 0.008 |

| | | |
|---|---|---|
| 11 | 263/1 | 0.130 |
| 12 | 263/2 | 0.087 |
| 13 | 263/4 | 0.015 |
| 14 | 42 | 0.004 |
| 15 | 35/1 | 0.183 |
| 16 | 101/1 | 0.082 |
| 17 | 101/2 | 0.144 |
| 18 | 103 | 0.206 |
| 19 | 98/1 | 0.139 |
| 20 | 93/2 | 0.058 |
| 21 | 93/3 | 0.180 |
| 22 | 203/3 | 0.016 |
| 23 | 90/1 | 0.115 |
| 24 | 231 | 0.014 |
| 25 | 232 | 0.041 |
| 26 | 239/1 | 0.039 |
| 27 | 227/1 | 0.098 |
| 28 | 227/2 | 0.017 |
| 29 | 201 | 0.087 |
| 30 | 203/1 | 0.016 |
| 31 | 203/2 | 0.016 |
| 32 | 204 | 0.014 |
| 33 | 205 | 0.010 |
| 34 | 206/1 | 0.002 |
| 35 | 206/2 | 0.004 |
| 36 | 165/3/1 | 0.044 |
| 37 | 165/4/2 | 0.055 |

| | | |
|---|---|---|
| 38 | 165/4/1 | 0.055 |
| 39 | 115 | 0.036 |
| 40 | 164/3 | 0.070 |
| 41 | 164/1 | 0.072 |
| 42 | 164/5 | 0.048 |
| 43 | 164/2 | 0.158 |
| 44 | 46 | 01.605 |
| 45 | 49 | 0.611 |
| 46 | 50 | 0.344 |
| 47 | 301/1 | 02.012 |
| 48 | 51 | 0.138 |
| 49 | 53/1 | 0.873 |
| 50 | 54 | 01.841 |
| 51 | 40 | 0.231 |
| 52 | 116 | 0.020 |
| 53 | 55 | 0.142 |
| 54 | 57 | 0.081 |
| 55 | 58 | 0.202 |
| 56 | 59/3 | 0.365 |
| 57 | 62/3 | 0.053 |
| 58 | 59/1/1 | 0.090 |
| 59 | 62/1/1 | 0.060 |
| 60 | 59/1/2 | 0.302 |
| 61 | 62/1/2 | 0.072 |
| 62 | 59/1/3 | 0.303 |
| 63 | 62/1/3 | 0.083 |
| 64 | 59/2 | 0.320 |

| | | |
|---|---|---|
| 65 | 62/2 | 0.043 |
| 66 | 286/1/1 | 0.080 |
| 67 | 286/1/2 | 0.080 |
| 68 | 287/1/1 | 0.038 |
| 69 | 287/1/2 | 0.206 |
| 70 | 287/1/3 | 0.206 |
| 71 | 287/1/4 | 0.412 |
| 72 | 286/2 | 0.073 |
| 73 | 287/3 | 0.292 |
| 74 | 286/3 | 0.040 |
| 75 | 287/2/1 | 0.103 |
| 76 | 287/4 | 0.057 |
| 77 | 287/2/2 | 0.076 |
| 78 | 287/2/3 | 0.076 |
| 79 | 288 | 02.100 |
| 80 | 298 | 0.971 |
| 81 | 291 | 01.416 |
| 82 | 311/2 | 0.190 |
| 83 | 292/1 | 0.962 |
| 84 | 292/2 | 0.575 |
| 85 | 295 | 0.036 |
| 86 | 296 | 0.324 |
| 87 | 297/1 | 0.598 |
| 88 | 297/10 | 0.598 |
| 89 | 297/2 | 01.020 |
| 90 | 297/3 | 0.243 |
| 91 | 297/8 | 01.056 |
| 92 | 297/11 | 0.242 |
| 93 | 297/12 | 0.223 |
| 94 | 297/4 | 0.809 |
| 95 | 297/5 | 0.526 |
| 96 | 297/6 | 01.056 |
| 97 | 297/13 | 0.223 |
| 98 | 301/2 | 0.154 |
| 99 | 297/7 | 0.283 |
| 100 | 297/9 | 0.849 |

| | | |
|---|---|---|
| 101 | 297/14 | 0.244 |
| 102 | 299 | 0.417 |
| 103 | 300/1 | 0.097 |
| 104 | 311/1 | 0.030 |
| 105 | 314/2 | 0.008 |
| 106 | 314/7 | 0.202 |
| 107 | 314/9 | 0.382 |
| 108 | 314/3 | 0.016 |
| 109 | 314/10 | 0.090 |
| 110 | 314/5 | 0.130 |
| 111 | 314/6 | 0.700 |
| 112 | 314/8 | 0.148 |
| 113 | 314/11 | 0.366 |
| 114 | 60/1,60/2 | 0.140 |
| 115 | 61 | 0.146 |
| 116 | 165/5 | 0.005 |
| 117 | 96/1 | 0.008 |
| | योग :– | **कुल रकबा–32.161 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां** |

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:–घाट परासिया (नवेगांव) जलाशय के बांध निर्माण में डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्व कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म0प्र0शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है।

4. **अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण** भू–अर्जन अधिकारी, तहसील–छिन्दवाड़ा, जिला–छिन्दवाड़ा **के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।**

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण **कार्यपालन यंत्री,** जल संसाधन संभाग छिन्दवाडा जिला छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

क्र.–6200–भू–अर्जन–2024

चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः **"भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा–19** के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

**–:अनुसूची:–**

**1. भूमि का वर्णन**

| | | |
|---|---|---|
| क. | जिला | **छिन्दवाड़ा** |
| ख. | तहसील | **छिन्दवाडा** |
| ग. | नगर / ग्राम | **ग्राम– घाट परासिया**<br>**प0ह0न–36**<br>**ब.न.–317**<br>**रा.नि.मं.–छिन्दवाडा** |
| घ. | अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल | **कुल रकबा–17.717 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां** |

| कमांक | प्रस्तावित खसरा नंबर | प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | 206 | 0.303 |
| 2 | 208/5/1 | 0.030 |
| 3 | 208/5/2 | 0.030 |
| 4 | 208/5/3 | 0.030 |
| 5 | 214 | 01.137 |
| 6 | 215/1 | 0.333 |
| 7 | 218/1/1 | 0.076 |
| 8 | 222/1 | 0.170 |
| 9 | 215/2 | 0.340 |
| 10 | 218/1/2 | 0.024 |

| | | |
|---|---|---|
| 11 | 222/2 | 0.215 |
| 12 | 215/3 | 0.340 |
| 13 | 218/1/3 | 0.024 |
| 14 | 222/3 | 0.215 |
| 15 | 215/5 | 0.370 |
| 16 | 218/1/5 | 0.165 |
| 17 | 221/1 | 0.020 |
| 18 | 222/5 | 0.023 |
| 19 | 215/6 | 0.113 |
| 20 | 216 | 0.045 |
| 21 | 218/1/6 | 0.207 |
| 22 | 221/2 | 0.213 |
| 23 | 217/1 | 0.404 |
| 24 | 218/1/7 | 0.084 |
| 25 | 221/3 | 0.090 |
| 26 | 217/2 | 0.425 |
| 27 | 218/1/8 | 0.091 |
| 28 | 221/4 | 0.062 |
| 29 | 217/3 | 0.425 |
| 30 | 218/1/9 | 0.091 |
| 31 | 221/5 | 0.062 |
| 32 | 217/4 | 0.425 |
| 33 | 218/1/10 | 0.090 |
| 34 | 221/6 | 0.063 |
| 35 | 215/4 | 0.370 |
| 36 | 218/1/4 | 0.058 |
| 37 | 222/4 | 0.150 |

| | | |
|---|---|---|
| 38 | 219 | 0.255 |
| 39 | 253/2 | 0.330 |
| 40 | 253/4 | 01.162 |
| 41 | 267/1 | 0.809 |
| 42 | 267/2 | 0.623 |
| 43 | 267/3 | 0.186 |
| 44 | 268/1 | 0.162 |
| 45 | 268/2 | 0.161 |
| 46 | 269/1 | 0.421 |
| 47 | 267/4 | 0.393 |
| 48 | 266/1 | 0.450 |
| 49 | 266/2 | 0.967 |
| 50 | 266/3 | 0.967 |
| 51 | 269/2 | 0.910 |
| 52 | 286 | 0.340 |
| 53 | 289 | 0.162 |
| 54 | 287 | 0.798 |
| 55 | 288 | 0.109 |
| 56 | 290/2 | 0.439 |
| 57 | 290/3 | 0.760 |
| | **योग :–** | **कुल रकबा–17.717 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां** |

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:–घाट परासिया (नवेगांव) जलाशय के अंतर्गत बांध निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्व कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म0प्र0शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है।

**4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण** भू–अर्जन अधिकारी, तहसील–छिन्दवाडा, जिला–छिन्दवाड़ा **के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।**

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण **कार्यपालन यंत्री,** जल संसाधन संभाग छिन्दवाडा जिला छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन, उपसंभाग छिन्दवाडा, जिला–छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

क्र.–6209–भू–अर्जन–2024

चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः **"भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा–19** के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

**–:अनुसूची:–**

**1. भूमि का वर्णन**

| | | |
|---|---|---|
| क. | जिला | **छिन्दवाड़ा** |
| ख. | तहसील | **मोहखेड़** |
| ग. | नगर / ग्राम | **ग्राम–महलपुर<br>प0ह0न–29<br>ब.न.–456<br>रा.नि.मं.–सांवरी** |
| घ. | अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल | **कुल रकबा–0.340 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां** |

| **कमांक** | **प्रस्तावित खसरा नंबर** | **प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)** |
|---|---|---|
| **(1)** | **(2)** | **(3)** |
| 1 | 153 | 0.008 |
| 2 | 152/6/2 | 0.092 |
| 3 | 151/3 | 0.020 |
| 4 | 151/1 | 0.020 |
| 5 | 151/5 | 0.020 |
| 6 | 151/7 | 0.020 |
| 7 | 139/3 | 0.042 |
| 8 | 138 | 0.043 |
| 9 | 134/2 | 0.045 |
| 10 | 133/4 | 0.030 |
| | **योग :–** | **कुल रकबा–0.340 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां** |

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:–छिंदवाडा सिंचाई कॉम्प्लेक्स संगम–2 बांध परियोजना के अंतर्गत पंप हाउस क0 6 में सांवरी मोहखेड़ मुख्य मार्ग से पंप हाउस तक पहुंच मार्ग निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्व कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म0प्र0शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है।

**4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण** भू–अर्जन अधिकारी, तहसील–छिन्दवाडा, जिला–छिन्दवाड़ा **के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।**

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित **प्रस्तावित** भूमि के नक्शे (प्लान) का **निरीक्षण कार्यपालन यंत्री,** जल संसाधन संभाग छिन्दवाडा जिला छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन, उपसंभाग तामिया, जिला–छिंदवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

क्र.–6210–भू–अर्जन–2024

चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः **"भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा–19** के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

**–:अनुसूची:–**

**1. भूमि का वर्णन**

| | | |
|---|---|---|
| क. | जिला | **छिन्दवाड़ा** |
| ख. | तहसील | **मोहखेड़** |
| ग. | नगर/ग्राम | **ग्राम–सारोठ**<br>**प0ह0न–07**<br>**ब.न.–215**<br>**रा.नि.मं.–सांवरी** |
| घ. | अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल | **कुल रकबा–0.389 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां** |

| कमांक | प्रस्तावित खसरा नंबर | प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | 113/1 | 0.004 |
| 2 | 112/1 | 0.014 |
| 3 | 111/6 | 0.006 |
| 4 | 110/9 | 0.014 |
| 5 | 110/6 | 0.046 |
| 6 | 110/7 | 0.026 |
| 7 | 76/2 | 0.051 |
| 8 | 110/3 | 0.010 |
| 9 | 110/2 | 0.015 |
| 10 | 57/3 | 0.028 |

| | | |
|---|---|---|
| 11 | 76/1 | 0.054 |
| 12 | 50 | 0.065 |
| 13 | 58 | 0.016 |
| 14 | 75 | 0.040 |
| | **योग :–** | **कुल रकबा–0.389 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां** |

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:–छिंदवाडा सिंचाई कॉम्प्लेक्स संगम–2 बांध परियोजना के अंतर्गत पंप हाउस क0 6 में सांवरी मोहखेड़ मुख्य मार्ग से पंप हाउस तक पहुंच मार्ग निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्व कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म0प्र0शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है।

**4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण** भू–अर्जन अधिकारी, तहसील–छिन्दवाडा, जिला–छिन्दवाड़ा **के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।**

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण **कार्यपालन यंत्री,** जल संसाधन संभाग छिन्दवाडा जिला छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन, उपसंभाग तामिया, जिला–छिंदवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**शीलेन्द्र सिंह,** कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

# उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
## उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

Jabalpur, the 14th August 2024

No. 103-Comp.-2024-CJ-II-1894.– WHEREAS, an enquiry has been ordered to be initiated against Shri Ashutosh Agnihotri, III Civil Judge, Junior Division, Lavkushnagar, District Chhatarpur for showing act of grave misconduct and misuse of powers.

AND, WHEREAS, looking to the seriousness and nature of allegations constituting grave misconduct and to obviate possibility of tampering of evidence and witnesses and for ensuring free and fair enquiry, suspension from service of the delinquent officer is necessary.

THEREFORE, in exercise of powers conferred on the High Court as Disciplinary Authority under sub-rule (1) of Rule 9 of Madhya Pradesh Civil Services (Classification, Control & Appeal) Rules 1966, and all other powers enabling the High Court to place a Judicial Officer under its control, under suspension, the High Court, hereby, places Shri Ashutosh Agnihotri, III Civil Judge, Junior Division, Lavkushnagar, Distict Chhatarpur, under suspension with immediate effect with the headquarters at Alirajpur during the period of suspension.

He is further directed to report to the Principal District & Sessions Judge, Alirajpur in compliance of the order.

By order of the High Court,
ASHUTOSH AGRAWAL, Registrar (Vigilance).

---

Jabalpur, the 10th September 2024

No.114-CJ-II-1179.– WHEREAS, an enquiry has been ordered to be initiated against Shri Pankaj Yadav, XXIII District & Additional Sessions Judge, Indore for showing act of grave misconduct and misuse of powers.

AND, WHEREAS, looking to the seriousness and nature of allegations constituting grave misconduct and to obviate possibility of tampering of evidence and witnesses and for ensuring free and fair enquiry, suspension from service of the delinquent officer is necessary.

THEREFORE, in exercise of powers conferred on the High Court as Disciplinary Authority under sub-rule (1) of Rule 9 of Madhya Pradesh Civil Services (Classification, Control & Appeal) Rules 1966, and all other powers enabling the High Court to place a Judicial Officer under its control, under suspension, the High Court, hereby, places Shri Pankaj Yadav, XXIII District & Additional Sessions Judge, Indore, under suspension with immediate effect with the headquarters at Sheopur during the period of suspension.

He is further directed to report to the Principal District & Sessions Judge, Sheopur in compliance of the order.

By order of the High Court,
VAIBHAV MANDLOI, Principal Registrar (Vigilance).

---

जबलपुर, दिनांक 19 सितम्बर 2024

क्र.–बी–4425–तीन–10–42–75.– एतद्द्वारा यह निर्देशित किया जाता है कि निम्न तालिका के कॉलम क्रमांक (3) में वर्णित न्यायाधीश अपनी पदस्थापना के स्थान के अतिरिक्त कॉलम क्रमांक (2) में वर्णित स्थान पर प्रत्येक माह में कॉलम क्रमांक (4) में दर्शित अवधि के लिये श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करेंगे.

No. B-4425-III-10-42-75.– The Judge named in the column No.(3) of the following table is hereby directed to hold sitting at place mentioned in the column No.(2) of the table in addition to his place of posting for the period mentioned in column No.(4) for holding Link Court.

| S. No. | Place, where Link Court is to be held (District) | Name of the Officer and designation | Period in a month for which Link Court is to be held |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Sitamau (Mandsaur) | Shri Munendra Singh Verma, Additional Judge to the Court of I District & Additional Sessions Judge, Mandsaur | One Week |

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार,
**रितुराज सिंह चौहान**, रजिस्ट्रार
(डिस्ट्रिक्ट इसटब्लिशमेंट).

जबलपुर, दिनांक 27 सितम्बर, 2024

क्र.–C–7114–चार–9–07–2024 पेंशन.– श्रीमती बीनू पिल्लई, असिस्टेंट रजिस्ट्रार (एम.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सर्विसेस पेंशन नियम, 1976 के नियम, 42 (1) (ए) के अंतर्गत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु दिनांक 3 अगस्त 2024 को प्रस्तुत आवेदन–पत्र उनकी 20 वर्ष की अर्हताकारी सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप स्वीकार किया जाता है.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के द्वारा, श्रीमती बीनू पिल्लई, असिस्टेंट रजिस्ट्रार (एम.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर को दिनांक 30 सितम्बर 2024 अपरान्ह से स्वेच्छापूर्वक सेवानिवृत्त होने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
**मनोज कुमार श्रीवास्तव,** रजिस्ट्रार जनरल.

---

जबलपुर, दिनांक 10 सितम्बर 2024

क्र.–B–4229–दो–2–32–2018.–श्री दीपेश कुमार तिवारी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन को दिनांक 12 से 16 अगस्त 2024 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् दिनांक 17 से 19 अगस्त 2024 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री दीपेश कुमार तिवारी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री दीपेश कुमार तिवारी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र.–B–4231–दो–2–14–2015.–श्रीमती रेणुका कंचन, तत्कालीन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर रजिस्ट्रार, वेलफेयर कमिश्नर, भोपाल गैस पीड़ित, भोपाल को दिनांक 30 जनवरी से 3 फरवरी 2023 तक का एवं दिनांक 6 से 17 फरवरी 2023 तक, का कुल सत्रह दिन का तथा दिनांक 17 से 21 अप्रैल 2023 तक पांच दिन (कुल बाईस दिन) का स्वीकृत अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है.

क्र.–B–4233–दो–2–23–2020.–श्री के. एन. सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को दिनांक 23 से 28 सितम्बर 2024 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 21 एवं 22 सितम्बर 2024 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 29 सितम्बर 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री के. एन. सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को अलीराजपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. एन. सिंह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र.–B–4237–दो–2–21–2022.–श्री रविन्दर सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को दिनांक 20 से 24 अगस्त 2024 तक, पांच दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 22 से 24 अगस्त 2024 तक, तीन दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है.

जबलपुर, दिनांक 24 सिंतम्बर 2024

क्र.–C–7000–दो–3–420–80–भाग–बारह.– सुश्री भावना साधौ, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल फा. क्रमांक–1127–इक्कीस–ब (एक)–2024, राज्य शासन, माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रमांक–643–2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिए गए निर्देशों के परिपालन में, मंत्रिपरिषद् द्वारा आयटम क्रमांक 17, दिनांक 11 मार्च 2024 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, मध्यप्रदेश की जिला न्यायपालिका के सेवारत् एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियम 6 (1) की कण्डिका क्रमांक– (i) (ii) एवं उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक–सी–3771, दिनांक 4 मई 2024 Hon' ble Committee for Service Conditions of District Judiciary (CSCDJ) द्वारा अनुमोदित (Modalities) के अनुसार–सुश्री भावना साधौ की सेवानिवृत्ति दिनांक 31 अगस्त 2024 को उनके खाते में 266 दिवस के अर्जित अवकाश एवं 406 अर्द्धवेतन अवकाश की पात्रता शेष होने से 300

दिवस (तीन सौ दिवस) के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जावे :–

(i) अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान – 286 दिवस

(ii) अर्धवेतनिक अवकाश के एवज में नगद भुगतान – 289 2= 14 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.

क्र.–C–7002–दो–3–420–80–भाग–बारह.– श्री महेन्द्र सिंह तोमर, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल फा. क्रमांक–1127–इक्कीस–ब (एक)–2024, राज्य शासन, माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रं.–643–2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिये गए निर्देशों के परिपालन में, मंत्रिपरिषद् द्वारा आयटम क्रमांक 17, दिनांक 11 मार्च 2024 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, मध्यप्रदेश की जिला न्यायपालिका के सेवारत् एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियम 6 (1) की कण्डिका क्रमांक– (i) (ii) एवं उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक सी–3771, दिनांक 4 मई 2024 Hon' ble Committee for Service Conditions of District Judiciary (CSCDJ) द्वारा अनुमोदित (Modalities) के अनुसार – श्री महेन्द्र सिंह तोमर, की सेवानिवृत्ति दिनांक 31 अगस्त 2024 को उनके खाते में 276 दिवस के अर्जित अवकाश एवं 410 अर्द्धवेतन अवकाश की पात्रता शेष होने से 300 दिवस (तीन सौ दिवस) के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जावे :–

(i) अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान. – 276 दिवस

(ii) अर्धवेतनिक अवकाश के एवज में नगद भुगतान. – 48 / 2= 24 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.

क्र.–C–7004–दो–2–61–2021.–श्री पी.सी.गुप्ता, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को दिनांक 24 से 26 सितम्बर 2024 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री पी.सी.गुप्ता, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को अनूपपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. सी. गुप्ता उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातें, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र.–B–4505–दो–3–420–80–भाग–बारह.– श्री सुबोध कुमार जैन, स्वैच्छिक सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, हरदा को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल फा. क्रमांक–1127–इक्कीस–ब (एक)–2024, राज्य शासन, माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रं.–643–2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिये गए निर्देशों के परिपालन में, मंत्रिपरिषद् द्वारा आयटम क्रमांक 17, दिनांक 11 मार्च 2024 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, मध्यप्रदेश की जिला न्यायपालिका के सेवारत् एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियम 6 (1) की कण्डिका क्रमांक– (i) (ii) एवं उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक सी–3771, दिनांक 4 मई 2024 Hon' ble Committee for Service Conditions of District Judiciary (CSCDJ) द्वारा अनुमोदित (Modalities) के अनुसार– श्री सुबोध कुमार जैन की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिनांक 29 अगस्त 2024 को उनके खाते में 169 दिवस के अर्जित अवकाश एवं 432 अर्द्धवेतन अवकाश की पात्रता शेष होने से 300 दिवस (तीन सौ दिवस) के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जावे :–

(i) अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान. – 169 दिवस

(ii) अर्धवेतनिक अवकाश के एवज में नगद भुगतान. – 262 (262 / 2= 131 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन).

क्र.–B–4507–दो–3–420–80–भाग–बारह.– श्री एस. के. पी. कुलकर्णी, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन को सेवानिवृत्ति दिनांक 30 नवम्बर 2019 को पूर्व के प्रचलित नियमों के अनुसार स्वीकृत अवकाश नगदीकरण रजिस्ट्री आदेश क्रमांक बी / 6125, दिनांक 12.12.2024 को संशोधित किया जाकर, पूर्व में किये गये अवकाश नगदीकरण के भुगतान का समायोजन माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रं.–643–2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिये गए निर्देशों के अनुसार किया जाता है.

क्र.–B–4509–दो–3–420–80–भाग–बारह.– श्री एस. के. पी. कुलकर्णी, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन

को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल फा. क्रमांक–1127–इक्कीस–ब (एक)–2024, राज्य शासन, माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रं.–643–2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिये गए निर्देशों के परिपालन में, मंत्रिपरिषद् द्वारा आयटम क्रमांक 17, दिनांक 11 मार्च 2024 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, मध्यप्रदेश की जिला न्यायपालिका के सेवारत् एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियम 6 (1) की कण्डिका क्रमांक– (i) (ii) एवं उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक सी–3771, दिनांक 4 मई 2024 Hon' ble Committee for Service Conditions of District Judiciary (CSCDJ) द्वारा अनुमोदित (Modalities) के अनुसार– श्री कुलकर्णी की सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जुलाई 2020 को उनके खाते में 273 दिवस के अर्जित अवकाश एवं 258 अर्द्धवेतन अवकाश की पात्रता शेष होने से 300 दिवस (तीन सौ दिवस) के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

| | | | |
|---|---|---|---|
| (i) | अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान. | – | 273 दिवस |
| (ii) | अर्धवेतनिक अवकाश के एवज में नगद भुगतान. | – | 54/2= 27 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन. |

क्र.–B–4511–दो–3–420–80–भाग–बारह.– श्री अशोक कुमार तिवारी, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल फा. क्रमांक–1127–इक्कीस–ब (एक)–2024, राज्य शासन, माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रं.–643–2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिये गए निर्देशों के परिपालन में, मंत्रिपरिषद् द्वारा आयटम क्रमांक 17, दिनांक 11 मार्च 2024 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, मध्यप्रदेश की जिला न्यायपालिका के सेवारत् एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियम 6 (1) की कण्डिका क्रमांक– (i) (ii) एवं उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक सी–3771, दिनांक 4 मई 2024 Hon' ble Committee for Service Conditions of District Judiciary (CSCDJ) द्वारा अनुमोदित (Modalities) के अनुसार– श्री तिवारी की सेवानिवृत्ति दिनांक 30 नवम्बर 2019 को उनके खाते में 162 दिवस के अर्जित अवकाश एवं 498 अर्द्धवेतन अवकाश की पात्रता शेष होने से 300 दिवस (तीन सौ दिवस) के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

| | | | |
|---|---|---|---|
| (i) | अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान. | – | 162 दिवस |
| (ii) | अर्धवेतनिक अवकाश के एवज में नगद भुगतान. | – | 276/2= 138 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन. |

क्र.–B–4517–दो–3–420–80–भाग–बारह.– श्री अशोक कुमार तिवारी, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को सेवानिवृत्ति दिनांक 30 नवम्बर 2019 को पूर्व के प्रचलित नियमों के अनुसार स्वीकृत अवकाश नगदीकरण रजिस्ट्री आदेश क्रमांक बी/6125, दिनांक 12 दिसम्बर 2024 को संशोधित किया जाकर, पूर्व में किये गये अवकाश नगदीकरण के भुगतान का समायोजन माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रं.–643–2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिये गए निर्देशों के अनुसार किया जाता है.

क्र.–B–4521–दो–2–32–2023.–श्री संजीव कुमार गुप्ता, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3–(ए) 19–03–इक्कीस–ब (एक) ,दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1) में दिये गये निर्देशों के अंतर्गत दिनांक 3 जून 2022 से दिनांक 2 जून 2024 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र.–B–4523–दो–2–40–2024.–श्री युगल रघुवंशी रजिस्ट्रार (W&I), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 23 से 28 सितम्बर 2024 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री युगल रघुवंशी, रजिस्ट्रार (W&I), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री युगल रघुवंशी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो रजिस्ट्रार (W&I), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 26 सितम्बर 2024

क्र.–C–7033–दो–2–23–2024.–श्री बी. एल. प्रजापति,

प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को दिनांक 9 से 13 सितम्बर 2024 तक, पांच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री बी. एल. प्रजापति, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. एल. प्रजापति, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र.–C–7035–दो–2–11–2024.–श्री कमल जोशी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर को दिनांक 9 से 12 सितम्बर 2024 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व दिनांक 7 से 8 सितम्बर 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री कमल जोशी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर को नरसिंहपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री कमल जोशी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र.–C–7037–दो–2–64–2014.– श्री आर. के. गुप्त, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को दिनांक 23 से 28 सितम्बर 2024 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 21 एवं 22 सितम्बर 2024 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 29 सितम्बर 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. गुप्त, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. गुप्त, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र.–C–7039–दो–2–42–2022.–श्रीमती तृप्ति शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा को दिनांक 12 से 14 अगस्त 2024 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती तृप्ति शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा को हरदा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती तृप्ति शर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहती.

क्र.–C–7041–दो–2–53–2022.–श्री अनीष कुमार मिश्रा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, झाबुआ को दिनांक 23 से 24 अगस्त 2024 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् दिनांक 25 एवं 26 अगस्त 2024 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अनीष कुमार मिश्रा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, झाबुआ को झाबुआ पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनीष कुमार मिश्रा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र.–C–7043–दो–2–48–2021.–श्री अरविन्द रघुवंशी,प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, नरसिंहपुर को दिनांक 23 से 28 सितम्बर 2024 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व दिनांक 21 एवं 22 सितम्बर 2024 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 29 सितम्बर 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अरविन्द रघुवंशी,प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, नरसिंहपुर को नरसिंहपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरविन्द रघुवंशी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र.–C–7045–दो–2–13–2019.–श्री अखिलेश शुक्ला, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, शिवपुरी को दिनांक 2 से 6 सितम्बर 2024 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व दिनांक 1 सितम्बर 2024 के एवं अवकाश के पश्चात् में दिनांक 7 एवं 8 सितम्बर 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अखिलेश शुक्ला, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, शिवपुरी को शिवपुरी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अखिलेश शुक्ला, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र.–C–7047–दो–2–26–2022.–श्री संजय कुमार पाण्डेय, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, राजगढ़ को दिनांक 7 से 8 अक्टूबर 2024 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 6 अक्टूबर 2024 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 9 से 13 अक्टूबर 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री संजय कुमार पाण्डेय, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, राजगढ़ को राजगढ़ पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री संजय कुमार पाण्डेय उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र.–C–7049–दो–2–13–2015.–श्री अखिलेश जोशी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मुरैना को दिनांक 12 से 13 सितम्बर 2024 तक, दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री अखिलेश जोशी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मुरैना को मुरैना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अखिलेश जोशी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र.–C–7051–दो–2–56–2021.–श्रीमती किरण सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को दिनांक 11 से 13 सितम्बर 2024 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती किरण सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती किरण सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र.–C–7053–दो–2–23–2020.–श्री के. एन. सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को दिनांक 23 से 28 सितम्बर 2024 तक, छः दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 29 सितम्बर से 3 अक्टूबर 2024 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री के. एन. सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को अलीराजपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. एन. सिंह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र.–C–7055–दो–2–65–2018.–श्री सुनील कुमार जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर को दिनांक 17 से 20 सितम्बर 2024 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 15 एवं 16 सितम्बर 2024 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 एवं 22 सितम्बर 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री सुनील कुमार जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर को मण्डलेश्वर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुनील कुमार जैन उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र.–C–7062–दो–2–33–2023.–श्री अजय श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को दिनांक 7 से 8 अक्टूबर 2024 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 6 अक्टूबर 2024 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 9 से 13 अक्टूबर 2024 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अजय श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजय श्रीवास्तव उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
**आशीष तिवारी,** डी.आर.–कम–पी.पी.एस.

## उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 10 सितम्बर 2024

क्र.–अवकाश–.–श्रीमती निरूपमा श्रीवास्तव, ज्वाईंट रजिस्ट्रार (एम), मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इंदौर को दिनांक 27 अगस्त से 2 सितम्बर 2024 तक सात दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है. साथ ही अवकाश के पूर्व दिनांक 25 एवं 26 अगस्त 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की गई है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती निरूपमा श्रीवास्तव यदि उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो ज्वाईंट रजिस्ट्रार (एम) के पद पर कार्यरत रहतीं.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
**अनूप कुमार त्रिपाठी,** प्रिंसिपल रजिस्ट्रार.